[2021] 4 उम. नि. प. 246

भारत का महान्यायवादी

बनाम

सतीश और एक अन्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 1410]

तथा

राष्ट्रीय महिला आयोग

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 1411]

तथा

महाराष्ट्र राज्य

बनाम

सतीश

[2021 की दांडिक अपील सं. 1412]

तथा

महाराष्ट्र राज्य

बनाम

लिबनिस

[2021 की दांडिक अपील सं. 1413]

तथा

सतीश

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 1414]

18 नवंबर, 2021

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 (2012 का 32) – धारा 7, 8 और 30 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 342, 354 और 363] – लैंगिक हमला – अभियुक्त द्वारा लगभग बारह वर्षीय बालिका को फुसलाकर अपने मकान में ले जाना, उसके स्तनों को दबाना और उसकी सलवार उतारने की कोशिश करना – विपदग्रस्त और उसकी माता-इत्तिलाकर्ता के विश्वसनीय परिसाक्ष्य से अभियोजन का पक्षकथन साबित होना – अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा होने की उपधारणा – अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में ऐसी आपराधिक मानसिक दशा न होना सिद्ध न किया जाना – दोषसिद्धि – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा लैंगिक आशय से प्रवेशन किए बिना 'त्वचा से त्वचा का संपर्क' साबित न होने के आधार पर अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाना और केवल भारतीय दंड संहिता के अधीन लघु अपराध से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – संधार्यता – पोक्सो अधिनियम के अधीन लैंगिक हमले के अपराध का गठन करने के लिए धारा 7 में प्रयुक्त 'स्पर्श' और 'शारीरिक संपर्क' शब्दों का अर्थान्वयन त्वचा से त्वचा के संपर्क के रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि बालक पर लैंगिक हमले के अपराध के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक अभियुक्त का 'लैंगिक आशय' है न कि त्वचा से त्वचा का संपर्क होना और जहां अभियुक्त के कृत्यों से उसका लैंगिक आशय और आपराधिक मानसिक दशा होने की उपधारणा का गठन होता हो और अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में इस तथ्य को नासाबित न किया गया हो, वहां उसे पोक्सो अधिनियम के अधीन लैंगिक हमले के अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012

– धारा 7, 8, 9(ङ), 10 और 12 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 448, 354-क(1)(i)] – लैंगिक हमले और गुरुतर लैंगिक हमले का अपराध – अभियुक्त द्वारा पांच वर्षीय अप्राप्तवय बालिका के मकान में उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में घुसना – उसके हाथों को पकड़ना और अपनी पैंट की जिप खोलकर अपने गुप्तांग को दिखाना – विपदग्रस्त, उसकी माता और अन्य साक्षियों के विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का पक्षकथन सिद्ध किया जाना – अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम और दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के कृत्य को लैंगिक हमले की परिभाषा के अंतर्गत न माना जाना और केवल लैंगिक उत्पीड़न और दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जाना – संधार्यता – जहां अपील न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अभिनिर्धारित किया गया हो कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि अभियुक्त विपदग्रस्त-अभियोक्त्री के मकान में लैंगिक आशय से उसकी लज्जा भंग करने के आशय से घुसा था और उसके हाथों को पकड़कर अपने गुप्तांग को दिखाने के लिए पैंट की जिप खोली थी, वहां उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कृत्यों को पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत 'लैंगिक हमले' का कृत्य न मानते हुए केवल लज्जा भंग करने और लैंगिक उत्पीड़न के अपराध के लिए दोषसिद्ध करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है और चूंकि अभियोक्त्री की आयु बारह वर्ष से कम थी इसलिए अभियुक्त को गुरुतर लैंगिक हमले के अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करना उचित होगा ।

इन अपीलों के तथ्य इस प्रकार हैं कि विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि अभिलेख से प्रकट होता है, यह था कि इत्तिलाकर्ता विपदग्रस्त की माता थी । अभियुक्त-सतीश उसी क्षेत्र अर्थात् दीपक नगर, नागपुर में रह रहा था, जहां वह रह रही थी । तारीख 14 दिसंबर, 2016 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न में लगभग 12 वर्षीय आयु की बालिका विपदग्रस्त अमरूद लेने के लिए बाहर गई थी । चूंकि वह लंबे समय तक वापस नहीं आई, इसलिए उसकी माता इत्तिलाकर्ता उसकी तलाश में गई । उस समय एक महिला, जो नजदीक

ही रह रही थी, ने उसे बताया कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति (अभियुक्त-सतीश) उसकी पुत्री को अपने साथ अपने मकान में ले गया है । इसलिए उसकी माता अभियुक्त के मकान पर गई । अभियुक्त उस समय अपने मकान के प्रथम तल से नीचे आया । उसके द्वारा अपनी पुत्री के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने उसे कहा कि वह उसके मकान में नहीं है । तथापि, वह अपनी पुत्री की तलाश करने के लिए अभियुक्त के मकान में घुस गई चूंकि उसने प्रथम तल पर स्थित एक कमरे से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी । वह प्रथम तल पर गई और पाया कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था । उसने दरवाजा खोला और अपनी पुत्री को पाया जो कमरे में रो रही थी । यह पूछताछ करने पर कि क्या हुआ है, उसकी पुत्री ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था और उसे बताया था कि वह उसे अमरूद देगा । वह उसे अपने मकान में ले गया । उसने फिर उसके स्तनों को दबाया और उसकी सलवार निकालने की कोशिश की । उस समय विपदग्रस्त ने चिल्लाने की कोशिश की किंतु अभियुक्त ने उसका मुंह दबा लिया । वह इन बातों का पता चलने पर अपनी पुत्री के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस थाने गई और पुलिस थाना, गिट्टीखदान, नागपुर में अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन विपदग्रस्त का कथन अभिलिखित कराया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध विशेष न्यायालय, नागपुर में आरोप पत्र फाइल किया गया । विशेष न्यायालय द्वारा अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 354 और 363 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 8 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त-सतीश द्वारा फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से यह मताभिव्यक्तियां करते हुए कि स्वीकृततः, अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने विपदग्रस्त का टॉप हटाया था और उसके स्तनों को दबाया था । इसलिए प्रवेशन किए बिना लैंगिक आशय से कोई

प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अर्थात् त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं था । अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 354 के अधीन छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त मताभिव्यक्तियों/निकाले गए निष्कर्षों से व्यथित होकर भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल की गईं । अभियुक्त द्वारा भी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 342 के अधीन अपराधों के लिए अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील फाइल की गई । एक अन्य मामले में लिबनिस कुजुर नामक अभियुक्त जो एक अप्राप्तवय बालिका के पड़ोस में ही रह रहा था, उसके मकान पर आया । उसकी माता काम के लिए बाहर गई हुई थी और उसका पिता भी घर पर नहीं था । उक्त कुजुर ने उसके हाथों को पकड़ लिया और एक हाथ से उसका फ्रॉक ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से उसकी पेंट नीचे कर दी । उसके पश्चात् उसने अपनी पेंट की जिप खोली और उसे अपना लिंग दिखाया और फिर उसे खाट पर लेटने के लिए कहा । उसके पश्चात्, उसकी पुत्री रोने लगी । सभी महिलाएं वहां एकत्रित हो गईं और अभियुक्त को तलाश करने की कोशिश की किंतु वह नहीं पाया । उसके पश्चात्, उसकी माता इत्तिलाकर्ता अपनी अप्राप्तवय पुत्री तथा अपने पड़ोसियों के साथ लिबनिस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गढ़चिरोली पुलिस थाने गई । इत्तिलाकर्ता की उक्त रिपोर्ट को उक्त पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क(1)(i) और 448 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 9(ड) और धारा 11(i) के साथ पठित धारा 8, 10 और 12 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् विशेष न्यायालय, नागपुर के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया । विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त-लिबनिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 9(ड) और 12 के साथ पठित धारा 8 और 10 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इससे व्यथित होकर, अभियुक्त-लिबनिस द्वारा

बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ में दांडिक अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) के साथ पठित पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि को कायम रखा और अभियुक्त की पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 10 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया । उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर महाराष्ट्र राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी अपीलों का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में पोक्सो अधिनियम) की धारा 7, जो "लैंगिक हमले" के संबंध में है, को पढ़ने मात्र से यह प्रतीत होता है कि यह धारा दो भागों में है । इस धारा के पहले भाग में लैंगिक आशय से शरीर के विनिर्दिष्ट लैंगिक भागों को स्पर्श करने के कार्य के बारे में वर्णन किया गया है । दूसरे भाग में, लैंगिक आशय से किए गए ऐसे "किसी अन्य कार्य" के बारे में वर्णन किया गया है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो । "स्पर्श" शब्द को विनिर्दिष्ट रूप से शरीर के लैंगिक भागों के संबंध में प्रयुक्त किया गया है, जबकि "शारीरिक संपर्क" शब्द को किसी अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है । अत: शरीर के लैंगिक भाग को स्पर्श करने का कार्य या शारीरिक संपर्क से अंतर्वलित कोई अन्य कार्य यदि "लैंगिक आशय" से किया जाता है तो पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत "लैंगिक हमले" की कोटि में आएगा । अभियुक्त की ओर से श्री लूथरा द्वारा दी गई इस दलील से कोई असहमति नहीं हो सकती है कि "लैंगिक हमला" अभिव्यक्ति को धारा 7 में स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए इसे किसी पूर्व-निर्धारित रूपविधान या संरचना तक सीमित नहीं किया जा सकता है और यह एक तथ्य का प्रश्न होगा, तथापि, श्री लूथरा की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि धारा 7 में प्रयुक्त "शारीरिक संपर्क" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन 'त्वचा से त्वचा' के संपर्क के रूप में किया जाना चाहिए । "अमान्य से मान्य करना अच्छा है" (अट रेस मैजिस वेलेट क्यूआम

पीरिएट) उक्ति में अंतर्विष्ट अर्थान्वयन के नियम के अनुसार, किसी नियम का अर्थान्वयन उस नियम को नष्ट करने की बजाय उसे नियम के रूप में क्रियान्वित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए । उपबंध के ऐसे किसी संकीर्ण और पंडिताऊ निर्वचन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिससे उस उपबंध का उद्देश्य विफल होता हो । यह कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि जहां विधान-मंडल के आशय को कार्यान्वित न किया जा सकता हो, वहां न्यायालय एक प्रभावी परिणाम का निष्कर्ष निकालने के प्रयोजनार्थ अधिक स्पष्ट निर्वचन को स्वीकार करेंगे । "स्पर्श" या "शारीरिक संपर्क" शब्दों के निर्वचन को "त्वचा से त्वचा का संपर्क" तक निर्बंधित करना पोक्सो अधिनियम की धारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंध का न केवल एक संकीर्ण और पंडिताऊ निर्वचन करना होगा अपितु इसके परिणामस्वरूप उक्त उपबंध का एक बेतुका निर्वचन हो जाएगा । "लैंगिक हमले" के अपराध का गठन करने के लिए विधान मंडल द्वारा "त्वचा से त्वचा का संपर्क" का आशय नहीं रहा होगा या अनुध्यात नहीं किया होगा । पोक्सो अधिनियम अधिनियमित करने का एकमात्र उद्देश्य लैंगिक दुरुपयोग से बालकों का संरक्षण करना है और यदि ऐसा कोई संकीर्ण निर्वचन स्वीकार किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के उद्देश्य को ही विफल करते हुए एक बहुत ही हानिकारक स्थिति हो जाएगी क्योंकि उस दशा में किसी बालक के शरीर के लैंगिक या अलैंगिक अंगों को दस्ताने, कंडोम, परत या कपड़े से स्पर्श करना, भले ही ऐसा लैंगिक आशय से किया गया हो, पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले के अपराध की कोटि में नहीं आएगा । अधिनियम की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले के अपराध का गठन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक "लैंगिक आशय" है न कि बालक की "त्वचा से त्वचा" का संपर्क । पूर्व-चर्चित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-सतीश के मामले में उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 354 के अधीन लघु अपराधों के लिए दोषी अभिनिर्धारित करके और उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन

अपराध के लिए दोषमुक्त करके गलती की थी । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के बारे में विपदग्रस्त और उसकी माता अर्थात् इत्तिलाकर्ता के इन संगत वृत्तांतों को स्वीकार करते हुए कि अभियुक्त विपदग्रस्त को अपने मकान में ले गया था, विपदग्रस्त के स्तनों को दबाया था, उसकी सलवार को हटाने का प्रयत्न किया था और उसका मुंह दबाया था, यह अभिनिर्धारित करके गंभीर गलती की थी कि बारह वर्ष की आयु के बालक के स्तनों को दबाने का कृत्य किसी ऐसे विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अभाव में कि क्या टॉप हटाया गया था या क्या उसने अपने हाथों को टॉप के अंदर घुसेड़ा था और उसके स्तनों को दबाया था, लैंगिक हमले की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आएगा । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में भी गलती की थी कि कोई अपराध नहीं हुआ था चूंकि लैंगिक आशय से कोई प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अर्थात् "त्वचा से त्वचा" का संपर्क नहीं हुआ था । (पैरा 31, 32, 33 और 40)

उच्च न्यायालय की प्रेरणा पर "उसी किस्म या प्रकार का" (ऐजुसडेम जेनेरिस) के सिद्धांत के आधार पर भी किया गया धारा 7 का निर्वचन पूरी तरह से भ्रामक है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि "उसी किस्म या प्रकार का" (ऐजुसडेम जेनेरिस) के सिद्धांत को केवल कानून के अर्थान्वयन की सहायता के रूप में लागू किया जाना चाहिए । इसे वहां लागू नहीं करना चाहिए जहां इससे विधायी आशय ही विफल होता हो । स्थिर विधिक स्थिति के अनुसार, यदि धारा में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट शब्दों से कोई वर्ग नि:शेष होता हो, तो यह अर्थान्वयन किया जाना चाहिए कि विधायी आशय विनिर्दिष्ट शब्दों द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से परे साधारण शब्द का प्रयोग करना था । जहां तक पोक्सो अधिनियम की धारा 7 का संबंध है, इसके पहले भाग में विनिर्दिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमले के कृत्य के एक वर्ग को नि:शेष बनाया गया है और दूसरे भाग में विनिर्दिष्ट शब्दों द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से परे साधारण कृत्य का प्रयोग किया गया है । दूसरे शब्दों में, जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक

से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है, वह "लैंगिक हमले" का अपराध कर रहा होगा । इसी प्रकार, जो कोई लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित होता है, भी पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन "लैंगिक हमले" का अपराध करेगा । पहले की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष के लिए अधिनियम की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले के आरोप को साबित करने के प्रयोजनार्थ "त्वचा से त्वचा" के संपर्क को साबित करना अपेक्षित नहीं था । अभियोजन पक्ष द्वारा परिवर्ती परिस्थितियां जैसे अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त को अपने मकान में ले जाना, अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त की माता को यह झूठ बोलना कि विपदग्रस्त उसके मकान में नहीं है, माता द्वारा अपनी पुत्री को अभियुक्त के मकान के प्रथम तल के कमरे में पाया जाना और विपदग्रस्त द्वारा अपनी माता को घटना का वर्णन किया जाना, साबित की गई थीं, बल्कि अभियुक्त की ओर से उक्त तथ्यों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे मूलभूत तथ्यों को साबित करने पर न्यायालय अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा के बारे में कानूनी उपधारणा करने का हकदार था, जिसके लिए उसे उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन अनुज्ञात किया गया है । अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का यह साबित करके खंडन नहीं किया गया है कि उसकी ऐसी कोई मानसिक दशा नहीं थी । अत: अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथाअनुध्यात लैंगिक आशय के अभिकथन को भी साबित किया गया है । अत: इस न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने न केवल अभियुक्त की ओर से लैंगिक आशय को साबित किया था अपितु इन अभिकथित कृत्यों को भी साबित किया था कि उसने विपदग्रस्त के स्तनों को दबाया था, उसकी सलवार को हटाने का प्रयत्न किया था और उसके मुंह को दबाकर बल का भी प्रयोग किया था । ये सभी कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथाअनुध्यात और धारा 8 के अधीन दंडनीय "लैंगिक हमले" के कृत्य थे । (पैरा 41 और 42)

जहां तक अन्य अभियुक्त-लिबनिस का संबंध है, उच्च न्यायालय ने

अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखते हुए उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 10 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया था । आवश्यक रूप से, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया था कि अभियुक्त अभियोक्त्री के मकान में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से घुसा था, यह भी अभिनिर्धारित किया था कि "अभियोक्त्री के हाथों को पकड़ने" या "पेंट की जिप को खोलने" के कृत्य लैंगिक हमले की परिभाषा में ठीक नहीं बैठते हैं । इस न्यायालय की राय में, उच्च न्यायालय ने ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित करके गंभीर गलती की थी । जब अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के लैंगिक आशय से उसके मकान में घुसने, उसके हाथों को पकड़ने और अपनी पेंट की जिप खोलकर अपने लिंग को दिखाने के अभिकथित कृत्यों को अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किया गया अभिनिर्धारित किया गया है, तब उच्च न्यायालय के लिए ऐसे कृत्यों को पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत "लैंगिक हमलों" के कृत्यों के रूप में न समझने का कोई कारण नहीं था । यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन "गुरुतर लैंगिक हमले" के अपराध के लिए विहित पांच वर्ष के न्यूनतम दंडादेश की बात से प्रभावित हो गया था क्योंकि अभियोक्त्री की आयु पांच वर्ष थी और लैंगिक हमला यदि ऐसे विपदग्रस्त पर कारित किया गया है जिसकी आयु बारह वर्ष से कम है, तो उसे अधिनियम की धारा 9(ड) के अनुसार "गुरुतर लैंगिक हमले" के रूप में समझा जाना आवश्यक है । तथापि, न तो न्यूनतम दंड की अवधि और न ही विपदग्रस्त की आयु अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के शिकंजे से बच निकलने का आधार हो सकते हैं । अभियुक्त के अभियोक्त्री के मकान में उसकी लज्जा भंग करने के लैंगिक आशय से घुसना, उसके हाथों को पकड़ना और अपनी पेंट की जिप को खोलकर अपने लिंग को अभियोक्त्री को दिखाने के अभिकथित कृत्यों को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया अभिनिर्धारित किया

गया है, इसलिए वे कृत्य निश्चित रूप से धारा 7 के दूसरे भाग अर्थात् "..... या लैंगिक आशय से अन्य कोई कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो" में यथा अनुध्यात "लैंगिक हमले" की परिधि के अंतर्गत आने वाले कृत्य होंगे । अत: इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त-लिबनिस ने पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत "लैंगिक हमले" का अपराध कारित किया था और अभियोक्त्री की आयु बारह वर्ष से कम होने के कारण उसने उक्त अधिनियम की धारा 9(ड) के अधीन यथाअनुध्यात "गुरुतर लैंगिक हमले" का अपराध कारित किया था जो पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के अधीन पांच वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडित किए जाने के लिए दायी है । मामले की इस दृष्टि से, उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश, जहां तक इसमें अभियुक्त-लिबनिस की पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 10 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि को अपास्त किया गया है, अपास्त किए जाने योग्य है और विशेष न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को प्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित है । (पैरा 43)

न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट का सम्मत निर्णय

पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7 के पठन मात्र से यह दर्शित होता है कि "हमला" अभिव्यक्ति का जो अर्थ है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 351 में "हमला" की परिभाषा से पूर्ण रूप से अलग किया गया है । धारा 351 में एक स्पष्ट अंगविक्षेप, या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी तैयारी जिससे किसी अन्य व्यक्ति को यह आशंका हो जाती है कि वह पूर्ववर्ती आशयित विपदग्रस्त पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, अंतवर्लित है । धारा 7 का जोर लैंगिक आशय से प्रेरित विधि-बाह्य व्यवहार की सामाजिक आवश्यकता को इंगित करना है । धारा 7 के सूक्ष्म विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि यह धारा मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित है । प्रथम भाग के अधीन लैंगिक हमला किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक आशय से बालक के शरीर के चार विनिर्दिष्ट अंगों (योनि, लिंग, गुदा या स्तन) को स्पर्श करने या "ऐसे व्यक्ति" (अपराधी

के प्रति स्पष्ट निर्देश किया गया है) या "किसी अन्य व्यक्ति" (अर्थात् बालक या अपराधी के अतिरिक्त) के शरीर के उन अंगों में से किसी को बालक से स्पर्श कराने के रूप में परिभाषित है । दूसरे भाग में, लैंगिक आशय से "कोई ऐसा अन्य कार्य करना लैंगिक हमला है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो" । दूसरे शब्दों में, "संपर्क", जिसे दूसरे भाग में प्रयुक्त किया गया है, का एक अधिक व्यापक अर्थ है ; इसमें 'स्पर्श' सम्मिलित है किंतु यह सदैव इस तक सीमित नहीं है । जबकि यह बात अव्यवहित रूप से स्पष्ट नहीं होती है कि दूसरे भाग में 'शारीरिक संपर्क' पद क्यों प्रयुक्त किया गया है, "किसी अन्य कार्य" के साथ समुच्चयबोधक के रूप में इसके प्रयोग ("लैंगिक आशय से" अभिव्यक्ति जोड़कर) से यह उपदर्शित होता है कि 'शारीरिक संपर्क' से वह चीज अभिप्रेत है जिसका 'स्पर्श करने' की अपेक्षा अधिक व्यापक महत्व है । इस दृष्टि से, प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क में आवश्यक रूप से स्पर्श अंतर्वलित न हो । अंतर्वलित "अन्य कार्य" जिसमें "शारीरिक संपर्क" हो, उसमें अपराधी द्वारा विपदग्रस्त के शरीर के किसी अन्य अंग से (जो प्रथम भाग में वर्णित नहीं हैं) प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो सकता है ; अन्य कार्य जैसे विपदग्रस्त के साथ शारीरिक संपर्क करके अपराधी द्वारा किसी वस्तु का प्रयोग करना या मामले की विद्यमान परिस्थितियों में अपराधी द्वारा कोई संपर्क तक न किया गया हो ("कोई अन्य कार्य" अभिव्यक्ति इस बात का संकेत करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है, उदाहरण के लिए, विपदग्रस्त को किसी को स्पर्श करने के लिए प्रपीड़ित किया गया हो) । तथापि, संसदीय आशय और जोर इस बात पर है कि आपराधिक व्यवहार (चाहे स्पर्श हो या शारीरिक संपर्क से अंतर्वलित अन्य कार्य) लैंगिक आशय से प्रेरित होना चाहिए । संसद् द्वारा शरीर के चार लैंगिक भागों से परे जाकर साधारण प्रकृति के उन कार्यों को इसके अंतर्गत लाया गया, जो जब लैंगिक आशय के साथ किए जाएं, तो उन्हें धारा 7 के दूसरे भाग द्वारा आपराधिक बनाया गया है । पहले भाग में बालक के शरीर के चार अंगों का विनिर्दिष्ट वर्णन और नियंत्रणकारी अभिव्यक्ति "लैंगिक आशय" के प्रयोग का अर्थ है कि शरीर के उन प्रत्येक चारों अंगों का स्पर्श प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध है । अत: उच्च

न्यायालय के तर्काधार में भ्रांति यह है कि इसमें यह धारणा की गई है कि अप्रत्यक्ष स्पर्श धारा 7 के अंतर्गत नहीं आता है या दूसरे शब्दों में यह "स्पर्श" है ही नहीं । यह उपबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के स्पर्श को कवर करता है और दोनों को कवर करने के लिए है । अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से, स्पर्श करना मानवीय ज्ञानेन्द्रिय अवबोधन में लग जाना है । मानवीय शरीर की सतह पर अभिग्राहक सभी स्पर्शिक अनुभवों की सूक्ष्मताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं । उदाहरण के लिए, खाना खाने के लिए चम्मच का प्रयोग, इसे हाथ से स्पर्श किए बिना, उस स्पर्श की संवेदना को किसी भी तरह से कम नहीं करता है जो होठों और मुंह द्वारा अनुभव किया जाता है । इसी प्रकार, जब कोई छड़ी या अन्य वस्तु किसी व्यक्ति पर दबाई जाती है या लगाई जाती है चाहे जब वस्त्र पहने हों, उनके स्पर्श की संवेदनशीलता इसे महसूस करने के लिए पर्याप्त है । अत: उच्च न्यायालय के निर्णय में का तर्काधार पूरी तरह से असंवेदनात्मक रूप से तुच्छ हो जाता है और वास्तव में उस अस्वीकार्य व्यवहार की संपूर्ण श्रेणी को विधिसम्मत बना देता है जो बालक की गरिमा और स्वायतता को अवांछित हस्तक्षेप के माध्यम से कम करता है । अत: उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्वचन करके और इसके आधार पर दोषसिद्धि करके और प्रत्यर्थियों को दंडादेश देकर स्पष्ट रूप से गलती की है क्योंकि वे लैंगिक हमले के दोषी थे । सतीश के मामले में, दोषसिद्धि धारा 8 के अधीन होनी चाहिए । लिबनिस के मामले में, समुचित दोषसिद्धि धारा 10 के अधीन गुरुतर लैंगिक हमले की है । (पैरा 18, 20, 23, 24 और 29)

मैं न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों और निष्कर्षों से सहमत हूं और ऊपर उपदर्शित अतिरिक्त मताभिव्यक्तियों से सहमत हूं कि महान्यायवादी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अपीलों को मंजूर किया जाना चाहिए ; इसी प्रकार, बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई दो अपीलों में अभियुक्तों की अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए । तद्नुसार, मैं अभियुक्त सतीश और लिबनिस की दोषसिद्धि के उपांतरण और उन पर अधिरोपित दंडादेशों से सहमत हूं । (पैरा 34)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 18 यू. एस. 76 : **दि युनाइटेड स्टेट्स** बनाम **विल्ट बर्जर** ;	18, 38
[2016]	2016 की दांडिक अपील सं. 50 : तारीख 17 अक्तूबर, 2016 को विनिश्चित : **बंदु विट्ठलराव बोरवाड़** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	16
[2014]	(2014) 9 एस. सी. सी. 632 : **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह** ;	37
[2009]	(2009) 1 एस. सी. सी. 516 **आर. कल्याणी** बनाम **जनक सी. मेहता और अन्य** ;	17, 37
[2008]	(2008) 16 एस. सी. सी. 518 **नूर आगा** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य** ;	17
[2005]	(2005) 1 डब्ल्यूएलआर 2005 **रेजिना** बनाम **एच.** ;	34
[2004]	(2004) 5 एस. सी. सी. 518 **साक्षी** बनाम **भारत संघ** ;	17, 37
[2003]	(2003) 7 एस. एस. सी. 628 : **बालाराम कुमावत** बनाम **भारत संघ और अन्य** ;	29, 35
[2003]	ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1405 : **जे. पी. बंसल** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ;	28
[1988]	(1988) 487 यू. एस. 931 : **युनाइटेड स्टेट्स** बनाम **कोजमिंस्कि** ;	18, 38
[1936]	(1936) 269 यू. एस. 385 : **कोन्नली** बनाम **जनरल कंस्ट्रक्शन कंपनी** ;	18

442 एन. डब्ल्यू. 2 डी. 611 :
स्टेट ऑफ लोआ बनाम **वाल्टेयर जेम्स फिप्पस** ; 34

358 यू. एस. 169 :
लाडनेर बनाम **युनाइटेड स्टेट्स** ; 38

246 कैलि. एपीपी. चौथा, 822 :
दि पीपॅल बनाम **रेड II** । 38

न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट का सम्मत निर्णय

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] 2020 की दांडिक अपील सं. जे/2,
तारीख 14 मई, 2021 को विनिश्चित :
तुषार सिंघा बनाम **त्रिपुरा राज्य** ; 31

[2019] 2019 की दांडिक अपील सं. 564
तारीख 19 मार्च, 2020 को विनिश्चित :
जितेन्द्र बनाम **राज्य** ; 31

[2018] 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन
दिल्ली 1179 :
राकेश बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार)** ; 31

[2017] (2017) 15 एस. सी. सी. 133 :
ईरा बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली)** ; 8

[2015] 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन त्रिपुरा 188 :
दुलाल धर बनाम **त्रिपुरा राज्य** ; 30

[2005] (2005) 1 डब्ल्यूएलआर 2005 :
रेजिना बनाम **एच** ; 26

[1995] (1995) 6 एस. सी. सी. 194 :
रूपन देओल बजाज बनाम **के. पी. एस. गिल** ; 9

[1987] [1987] 2 उम. नि. प. 885 = (1987) 1 एस. सी. सी. 424 : **भारत का रिजर्व बैंक** बनाम **पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि. और अन्य** ; 4

[1974] [1974] 1 उम. नि. प. 1953 = (1975) 3 एस. सी. सी. 322 : **स्वन्तराज और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 7

442 एनडब्ल्यू 2 डी 611 (लोआ एपीपी. 1989) **लोआ राज्य** बनाम **वाल्टेर जेम्स फिप्पेस** ; 27

514 एनडब्ल्यू 2 डी 452 (लोआ एपीपी. 1994) **स्टेट ऑफ लोआ** बनाम **क्रिस कानन पियर्सन** । 27

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 1410 (इसके साथ 2021 की दांडिक अपील सं. 1411, 1412, 1413 और 1414).

2020 दांडिक अपील सं. 161 और 2020 की दांडिक अपील सं. 445 में बम्बई उच्च न्यायालय नागपुर न्यायपीठ द्वारा तारीख 19 जनवरी, 2021 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री के. के. वेणुगोपाल (महान्यायवादी), पूजा धर, सुहासिनी सेन, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडेय, जियो जोसफ, गीता लूथरा (ज्येष्ठ अधिवक्ता), नितिन सलुजा, शिवानी लूथरा लोहिया, अस्मिता नरुला, साशा मारिया पॉल, सिद्धार्थ लूथरा (ज्येष्ठ अधिवक्ता), मीनाक्षी विज, अनुपम प्रसाद, आयुष कौशिक, अंगज गौतम, अक्षय चौपड़ा,

सिद्धार्थ दवे (ज्येष्ठ अधिवक्ता), न्याय मित्र, जेम्तीबेन एओ, विधि ठाकर सौम्या गुप्ता, आरुषि सिंह और आदित्य वैभव सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने दिया ।

न्या. त्रिवेदी – सभी अपीलों में इजाजत दी गई ।

2. अपीलार्थियों क्रमश: भारत के महान्यायवादी (अटर्नी जनरल), राष्ट्रीय महिला आयोग, महाराष्ट्र राज्य और अपीलार्थी-अभियुक्त सतीश द्वारा फाइल की गई चार अपीलों में, जो 2020 की दांडिक अपील सं. 161 में बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ द्वारा तारीख 19 जनवरी, 2021 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई हैं, और अपीलार्थी-महाराष्ट्र राज्य द्वारा फाइल की गई अपील में, जो 2020 की दांडिक अपील सं. 445 में उसी नागपुर न्यायपीठ द्वारा तारीख 15 जनवरी, 2021 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई है, एक समान प्रासंगिक विधिक विवाद्यक सम्मिलित हैं और इसलिए हम यह समरूप न्यायनिर्णयन कर सकते हैं ।

I. अभियुक्त सतीश के मामले में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. अतिरिक्त संयुक्त अपर सेशन न्यायाधीश, नागपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् विशेष न्यायालय कहा गया है) ने 2017 के विशेष बालक संरक्षण मामला सं. 28 में तारीख 5 फरवरी, 2020 को पारित किए गए निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त-सतीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 354 और 363 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें आगे संक्षेप में पोक्सो अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया था । इससे व्यथित होकर, अभियुक्त-सतीश ने बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ में 2020 की दांडिक अपील सं. 161 फाइल की थी । उच्च न्यायालय ने तारीख 19 जनवरी, 2021 के निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन

अपराध के लिए दोषमुक्त करते हुए और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 354 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए उक्त अपील का निपटारा किया था । अभियुक्त को धारा 354 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक माह का कठोर कारावास भुगतने और भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अपराध के लिए छह माह की अवधि के लिए कारावास भुगतने और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया था ।

4. विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि अभिलेख से प्रकट होता है, यह था कि इत्तिलाकर्ता लगभग 12 वर्षीय आयु की विपदग्रस्त की माता थी । अभियुक्त-सतीश उसी क्षेत्र अर्थात् दीपक नगर, नागपुर में रह रहा था, जहां वह रह रही थी । तारीख 14 दिसंबर, 2016 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न में विपदग्रस्त अमरूद लेने के लिए बाहर गई थी । चूंकि वह लंबे समय तक वापस नहीं आई, इसलिए इत्तिलाकर्ता-माता विपदग्रस्त की तलाश में गई । उस समय एक महिला साऊ दिव्या यूकी, जो नजदीक ही रह रही थी, ने उसे बताया कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति (अभियुक्त) उसकी पुत्री को अपने साथ अपने मकान में ले गया है । इसलिए इत्तिलाकर्ता अभियुक्त के मकान पर गई । अभियुक्त उस समय अपने मकान के प्रथम तल से नीचे आया । इत्तिलाकर्ता द्वारा अपनी पुत्री के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने उसे कहा कि वह उसके मकान में नहीं है । तथापि, इत्तिलाकर्ता अपनी पुत्री की तलाश करने के लिए अभियुक्त के मकान में घुस गई चूंकि उसने प्रथम तल पर स्थित एक कमरे से आ रही चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी । वह प्रथम तल पर गई और पाया कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था । उसने दरवाजा खोला और अपनी पुत्री को पाया जो कमरे में रो रही थी । यह पूछताछ करने पर कि क्या हुआ है, उसकी पुत्री ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा था और उसे बताया था कि वह उसे अमरूद

देगा । वह उसे अपने मकान में ले गया । उसने फिर उसके स्तनों को दबाया और उसकी सलवार निकालने की कोशिश की । उस समय विपदग्रस्त ने चिल्लाने की कोशिश की किंतु अभियुक्त ने उसका मुंह दबा लिया । उसके पश्चात् अभियुक्त कमरे से गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया । इत्तिलाकर्ता इन बातों का पता चलने पर अपनी पुत्री के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस थाने गई । उक्त शिकायत पुलिस थाना, गिट्टीखदान, नागपुर में 2016 के अपराध सं. 405 के रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि जब पुलिस घटनास्थल पर गई तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त स्वयं को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था । अत: उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया । स्थल पंचनामा बनाया गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन विपदग्रस्त का कथन अभिलिखित कराया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध विशेष न्यायालय, नागपुर में आरोप पत्र फाइल किया गया । विशेष न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् इसमें ऊपर यथा उल्लिखित दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय और आदेश पारित किया ।

5. अभियुक्त-सतीश द्वारा फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां करते हुए अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 354 के अधीन छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया :–

> "18. स्पष्ट रूप से, अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि अपीलार्थी ने उसका टॉप हटाया था और उसके स्तनों को दबाया था । 'लैंगिक हमला' के अपराध के लिए उपबंधित दंड दोनों में से किसी भांति के कारावास से है जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । इस अपराध के लिए उपबंधित दंड की कठोर प्रकृति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय में, अधिक कड़े सबूत

और गंभीर अभिकथनों का होना आवश्यक है । 12 वर्ष की आयु के बालक के स्तनों को दबाने का कृत्य, ऐसे किसी विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अभाव में कि क्या टॉप हटाया गया था और क्या अभियुक्त ने टॉप के अंदर अपना हाथ डाला था और उसके स्तनों को दबाया था, 'लैंगिक हमले' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा । यह निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आएगा । तुरंत संदर्भ के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 को नीचे उद्धृत किया जाता है –

> '354. **स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग–** जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।'

19. इसलिए स्तनों को दबाने का कृत्य किसी स्त्री/लड़की पर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग हो सकता है । इस अपराध के लिए उपबंधित न्यूनतम दंड एक वर्ष है जो पांच वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।

20 से 25 .....

26. पूर्वोक्त कारणों से इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है । स्वीकृतत:, अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अपीलार्थी ने उसका टॉप हटाया था और उसके स्तनों को दबाया था । इसलिए प्रवेशन किए बिना लैंगिक आशय से कोई प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अर्थात् त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं था ।"

6. उच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त मताभिव्यक्तियों/निकाले

गए निष्कर्षों के कारण भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य को इस न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल करनी पड़ी हैं । अभियुक्त ने भी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 342 के अधीन अपराधों के लिए अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए अपील फाइल की है ।

II. अभियुक्त-लिबनिस के मामले में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

7. अपर सेशन न्यायाधीश, गढ़चिरोली (जिसे इसमें इसके पश्चात् विशेष न्यायालय कहा गया है) ने 2009 के विशेष पोक्सो मामला सं. 7 में तारीख 5 अक्तूबर, 2020 को पारित किए गए निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त-लिबनिस पुत्र फ्रांसिस कुजुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 9(ड) और 12 के साथ पठित धारा 8 और 10 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया था । इससे व्यथित होकर, अभियुक्त-लिबनिस ने बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ में 2020 की दांडिक अपील सं. 445 फाइल की थी । उच्च न्यायालय ने तारीख 15 जनवरी, 2021 के निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) के साथ पठित पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि को कायम रखा और अभियुक्त की पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 10 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया । उच्च न्यायालय ने अभिकथित कृत्यों की प्रकृति और अभिकथित अपराधों के लिए उपबंधित दंड पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश को उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गई अवधि की सीमा तक उपांतरित किया और उसे रिहा करने का निदेश दिया ।

8. विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि अभिलेख से प्रकट होता है, यह था कि इत्तिलाकर्ता लगभग पांच वर्ष की आयु की विपदग्रस्त की माता थी । इत्तिलाकर्ता नगर में कई मकानों में घरेलू कार्य करती थी जिसके लिए उसे सवेरे लगभग 8.00 बजे घर छोड़ना पड़ता था और दोपहर बाद लगभग 4.00 बजे वापस आती थी ।

तारीख 11 फरवरी, 2018 को लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न में वह घर पर अपनी दो पुत्रियों को छोड़कर अपने काम के लिए गई थी । उस दिन उसका पति भी गांव चवेला गया था । जब वह दोपहर बाद लगभग 4.00 बजे घर लौटी, तो उसने एक व्यक्ति को अपनी बड़ी पुत्री अर्थात् विपदग्रस्त के एक हाथ को पकड़े हुए देखा और उसने अपनी पुत्री को अपनी पेंट ऊपर उठाते हुए भी देखा । इसलिए वह चिल्लाई और पूछा वह कौन है और वह क्या कर रहा था । उक्त व्यक्ति ने उसकी पुत्री का हाथ छोड़ दिया और वापस मुड़ गया । उसके उपरांत, उसने पाया कि उक्त व्यक्ति लिबनिस फ्रांसिस था जो उसके मकान के निकट रह रहा था । उसने उसे कहा कि वह उसके पति से मिलने आया था चूंकि उसे कुछ काम था । जब वह जाने लगा तो इत्तिलाकर्ता ने देखा कि उसकी पेंट की जिप खुली हुई थी । इसलिए वह चिल्लाने और उसे गालियां देने लगी । चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पड़ोसी अर्थात् छाया धनन्यबाजी पगाडे, सायाबाई कैलाश बारसागाडे और माधुरी संतोष कोहचाडे दौड़ कर उसके मकान पर आए और इसी बीच उक्त लिबनिस एफ. कुजुर भाग गया । जब उसने अपनी पुत्री से पूछा कि क्या हुआ था, तो उसकी पुत्री ने बताया कि उक्त कुजुर उसके पिता के बारे में पूछने के लिए घर आया था । जब उसने उसे यह बताया कि उसका पिता एक गांव में गया है और उसकी माता काम के लिए बाहर गई है, तो उक्त कुजुर ने उसके हाथों को पकड़ लिया और एक हाथ से उसका फ्राक ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से उसकी पेंट नीचे कर दी । उसके पश्चात् उसने अपनी पेंट की जिप खोली और उसे अपना लिंग दिखाया और फिर उसे खाट पर लेटने के लिए कहा । उसके पश्चात्, उसकी पुत्री रोने लगी । सभी महिलाएं वहां एकत्रित हो गईं और अभियुक्त को तलाश करने की कोशिश की किंतु वह नहीं पाया जा सका । उसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता अपनी अप्राप्तवय पुत्री तथा अपने पड़ोसियों छाया धनन्यबाजी पगाडे और अन्य व्यक्तियों के साथ लिबनिस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गढ़चिरोली पुलिस थाने गई । इत्तिलाकर्ता की उक्त रिपोर्ट को उक्त पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क(1)(i) और 448 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 9(ड) और धारा

11(i) के साथ पठित धारा 8, 10 और 12 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए 2018 के अपराध सं. 63 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् विशेष न्यायालय, नागपुर के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया । विशेष न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् इसमें ऊपर यथा उल्लिखित दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय और आदेश पारित किया ।

9. आयुक्त-लिबनिस द्वारा फाइल की गई अपील में उच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 10 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए और भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) के साथ पठित पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि को कायम रखते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया :–

> "9. प्रस्तुत मामले में, निर्विवाद रूप से, अभियोक्त्री की आयु पांच वर्ष है । यदि अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 'लैंगिक हमले' का अपराध साबित हो जाता है, तो अभियोक्त्री की आयु बारह वर्ष से कम होने के कारण दोषसिद्धि 'गुरुतर लैंगिक हमले' के अपराध के लिए अभिलिखित की जानी चाहिए ।
>
> 10. गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड दोनों में से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, होगा और जुर्माने द्वारा भी दंडनीय होगा ।
>
> 11. अपीलार्थी/अभियुक्त को 'गुरुतर लैंगिक हमले' के आरोप के लिए अभियोजित किया गया है । 'लैंगिक हमले' की परिभाषा के अनुसार, इस अपराध के लिए प्रवेशन किए बिना लैंगिक आशय से शारीरिक संपर्क अनिवार्य संघटक है । यह परिभाषा इन शब्दों से आरंभ होती है – 'जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है .....'।

'कोई अन्य कार्य' में स्वयंमेव ऐसी प्रकृति के कार्य सम्मिलित हैं जो उन कार्यों के समान हैं जिन्हें 'उसी किस्म या प्रकार' (ऐजुस्डेम जेनरिस) के सिद्धांत के आधार पर परिभाषा में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित किया गया है । कार्य उसी प्रकृति का या उससे मिलता-जुलता होना चाहिए । 'अभियोक्त्री के हाथों को पकड़ने' या 'पेंट की जिप खोलने' के कार्य, जैसा कि अभि. सा. 1 द्वारा अभिकथित रूप से देखा गया था, इस न्यायालय की राय में 'लैंगिक हमले' की परिभाषा में ठीक नहीं बैठता है ।

12. इस अपराध का न्यूनतम दंडादेश पांच वर्ष का कारावास है । अपराध की प्रकृति और विहित दंडादेश पर विचार करते हुए, अपीलार्थी/अभियुक्त पर 'गुरुतर लैंगिक हमले' के अभिकथित अपराध के लिए आपराधिक दायित्व नियत करने के लिए पूर्वोक्त कार्य पर्याप्त नहीं हैं । अधिक से अधिक, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क(1)(i) के साथ पठित पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के अधीन दंडनीय छोटा अपराध साबित होता है ।

13. मामले की इस दृष्टि से, अभियोजन पक्ष यह साबित कर सका है कि अपीलार्थी/अभियुक्त अभियोक्त्री के मकान में उसकी लज्जा भंग करने या पोक्सो अधिनियम की धारा 11 के अधीन यथा परिभाषित लैंगिक उत्पीड़न करने के आशय से घुसा था । अत: अपीलार्थी/अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) के साथ पठित पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है । भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क(1)(i) और पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के अधीन अपराध के लिए उपबंधित दंड ऐसी अवधि का कारावास है जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या/और जुर्माने या दोनों से दंडनीय हो सकेगा । गृह अतिचार के अपराध के लिए दंड एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और 1000/- रुपए तक जुर्माना या दोनों हैं । यह सूचित किया गया है

कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने आज की तारीख तक लगभग पांच माह का कुल कारावास भुगत लिया है ।"

10. उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर महाराष्ट्र राज्य ने यह अपील फाइल की है ।

दलीलें

11. हमने भारत के विद्वान् महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता सुश्री गीता लूथरा, महाराष्ट्र राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री राहुल चिटनिस, न्यायालय की सहायता के लिए विद्वान् न्याय मित्र श्री सिद्धार्थ दवे और अभियुक्त-सतीश और अभियुक्त-लिबनिस के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा को सुना ।

12. भारत के विद्वान् महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने उच्च न्यायालय द्वारा पोक्सो अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों का जिस रीति में निर्वचन किया गया है, उस रीति के बारे में गंभीर चिंता अभिव्यक्त करते हुए जोरदार रूप से यह दलील दी कि ऐसे निर्वचन से बृहत्तर समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा । उनके अनुसार, उच्च न्यायालय धारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों का गलत निर्वचन करके अभियुक्त-सतीश को इस आधार पर दोषमुक्त नहीं कर सकता था कि अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त के साथ कोई प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अर्थात् त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं किया गया था । उन्होंने यह दलील दी कि अभियुक्त के सभी अभिकथित कृत्य अर्थात् विपदग्रस्त को अपने मकान में ले जाना, उसकी सलवार को उतारने की कोशिश करना, उसके स्तनों को दबाना और जब वह चिल्लाने लगी तो उसके मुंह को दबाना, ऐसे कृत्य थे जो पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत "लैंगिक हमले" और धारा 8 के अधीन दंडनीय कृत्यों की कोटि में आते हैं ।

13. विद्वान् महान्यायवादी द्वारा दी गई उक्त दलीलों को आगे

बढ़ाते हुए विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल सुश्री गीता लूथरा ने पोक्सो अधिनियम अधिनियमित करने के लिए उद्देश्यों और कारणों का यह दलील देने के लिए अवलंब लिया कि चूंकि स्त्रियों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों को विद्यमान विधियों द्वारा पर्याप्त रूप से इंगित नहीं किया गया है, इसलिए पोक्सो अधिनियम लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अधिनिमित किया गया था । सुश्री लूथरा ने लैंगिक उत्पीड़न से बालकों के संरक्षण के संबंध में विधेयक का अवलोकन करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त संसदीय समिति के विचारों का भी यह दलील देने के लिए अवलंब लिया कि विधेयक के खंड 3 और 7 में यथा परिभाषित लैंगिक अपराधों का आशय उन सभी संभावित स्थितियों को आच्छादित करना है जिन्हें इसके अधीन आच्छादित किया जाना अपेक्षित है । सुश्री लूथरा ने युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न न्यायालयों के अनेक निर्णयों के साथ-साथ इस न्यायालयों के निर्णयों का भी पोक्सो अधिनियम अधिनियमित करने के पीछे विधायी आशय पर बल देने के लिए अवलंब लिया । उन्होंने 'स्पर्श', 'शारीरिक संपर्क' और 'लैंगिक आशय' शब्द के शब्दकोश अर्थ की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए जोरदार रूप से यह दलील दी कि विधान मंडल ने धारा 7 में 'स्पर्श' और 'शारीरिक संपर्क' शब्दों का अदला-बदली करके प्रयोग किया है और इसलिए 'शारीरिक संपर्क' शब्द के अर्थ को 'त्वचा से त्वचा संपर्क' तक निर्बंधित करने से उक्त उपबंध का एक संकीर्ण निर्वचन होगा और अधिनियम के उद्देश्य को ही विफल करना होगा । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय ने 'उसी किस्म या प्रकार' (ऐजुस्डेम जेनरिस) के सिद्धांत को लागू करके गंभीर गलती की थी, जिसे वहां लागू नहीं किया जाना चाहिए जहां इससे अधिनियमिति का उद्देश्य विफल होता हो । इसी प्रकार, सुश्री लूथरा के अनुसार, पोक्सो अधिनियम के उपबंधों में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता न होने के कारण रियायत का नियम भी लागू नहीं होगा ।

14. न्याय मित्र के रूप में नियुक्त विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने भी पोक्सो अधिनियम की स्कीम और विनिर्दिष्ट रूप से

धारा 2 और 3 की ओर यह दलील देने के लिए न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि धारा 7 के प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण बात "लैंगिक आशय" है । धारा 7 को दो भागों में विभाजित करते हुए श्री दवे ने यह दलील दी कि उसका पहला भाग लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करने या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के उक्त अंगों को स्पर्श कराने के कार्यों से संबंधित है और दूसरा भाग लैंगिक आशय से 'ऐसा कोई अन्य कार्य' करने से संबंधित है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित होता है । इस प्रकार, उनके अनुसार, धारा 7 के दोनों भागों में आपराधिक मन:स्थिति अर्थात् आपराधिक मानसिक दशा - उक्त अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का लैंगिक आशय अत्यंत तात्विक है । पोक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 को लागू करते हुए श्री दवे ने यह दलील दी कि न्यायालय के लिए अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा के विद्यमान होने की उपधारणा करना अपेक्षित है और यह अभियुक्त पर है कि वह प्रतिरक्षा में यह साबित करे कि अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत उसकी ऐसी कोई मानसिक दशा नहीं थी । श्री दवे ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के असंप्रकाशित निर्णयों का भी अपनी इस दलील पर जोर देने के लिए अवलंब लिया कि आपराधिक मानसिक दशा से अश्लील रीति में स्पर्श करना उक्त अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत "लैंगिक हमले" की कोटि में आएगा भले ही विपदग्रस्त और अभियुक्त के बीच 'त्वचा से त्वचा का संपर्क' नहीं था ।

15. महाराष्ट्र राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री राहुल चिटनिस ने भारत के विद्वान् महान्यायवादी द्वारा, सुश्री गीता लूथरा और विद्वान् न्याय मित्र श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा दी गई दलीलों को अपनाते हुए करते हुए यह दलील दी कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा किए गए पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के निर्वचन को स्वीकार किया जाता है, तो इससे अधिनियम का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा ।

16. इसके विपरीत, दोनों मामलों में के अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने पोक्सो

अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबंधों का यह दलील देने के लिए अविलंब लिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध का एक भिन्न अर्थ और भिन्न प्रभाव है जिसे पोक्सो अधिनियम की धारा 7 का निर्वचन करने के प्रयोजनार्थ सम्मिलित नहीं किया जा सकता है । उनके अनुसार, 'लैंगिक आशय', 'स्पर्श करता है' और 'शारीरिक संपर्क' वाक्यांशों को पोक्सो अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि धारा 11 के स्पष्टीकरण में यह उपबंधित है कि कोई प्रश्न, जिसमें "लैंगिक आशय" अंतर्वलित है, तथ्य का प्रश्न होगा । उन्होंने **बंदु विट्ठलराव बोरवाड़** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में बंबई उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि "लैंगिक आशय" अभिव्यक्ति को किसी पूर्व-निर्धारित रूपविधान या संरचना तक सीमित नहीं किया जा सकता है । उन्होंने यह भी दलील दी कि पोक्सो अधिनियम के विपरीत, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध में 'हमला' और 'आपराधिक बल' पदों का प्रयोग किया गया है । तथापि, चूंकि 'लैंगिक हमला' पोक्सो अधिनियम में परिभाषित किया गया है, इसलिए भारतीय दंड संहिता में अंतर्विष्ट 'हमला' या 'आपराधिक बल' शब्दों की परिभाषा को पोक्सो अधिनियम में उपलक्षित नहीं किया जा सकता है भले ही पोक्सो अधिनियम की धारा 2(2) के अधीन ऐसा अनुज्ञात हो । पूर्ण रूप से यह मानते हुए कि पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के पहले भाग में, जो बालक के गुप्तांगों को स्पर्श करने के कार्य से संबंधित है, 'त्वचा से त्वचा का संपर्क' अपेक्षित न हो, तथापि, उन्होंने यह दलील दी कि जहां तक दूसरे भाग अर्थात् "लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित होता है", का संबंध है, 'त्वचा से त्वचा के संपर्क' को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है ।

17. जहां तक पोक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के अधीन उपधारणा का संबंध है, श्री लूथरा ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में अंतर्विष्ट एक-समान उपबंधों से एकरूपता करने की

---

[1] 2016 की दांडिक अपील सं. 50, तारीख 17 अक्तूबर, 2016 को विनिश्चित ।

कोशिश की और यह दलील दी कि उपधारणा से और अभियुक्त पर सबूत के विपर्यस्त भार से अभियुक्त के लिए अपनी निर्दोषिता को साबित करना कठिन हो जाता है । अत: कठोर निर्वचन की बजाय किसी अन्य निर्वचन से अपराध की परिधि का विस्तार हो जाएगा और इससे अनुच्छेद 21 का सांविधानिक उद्देश्य अग्रसर नहीं होगा । इस बाबत उन्होंने **नूर आगा** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य**[1], **साक्षी** बनाम **भारत संघ**[2] और **आर. कल्याणी** बनाम **जनक सी. मेहता और अन्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया ।

18. श्री लूथरा ने रियायत के नियम का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि कानूनी अर्थान्वयन का यह नियम न्यायालय से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी दांडिक कानून में कानूनी संदिग्धता का निराकरण अभियुक्त के पक्ष में करे या कानून का कड़ाईपूर्वक अर्थान्वयन राज्य के विरुद्ध करे । इस बाबत, उन्होंने **दि युनाइटेड स्टेट्स** बनाम **विल्ट बर्जर**[4]; **कोन्नली** बनाम **जनरल कंस्ट्रक्शन कंपनी**[5] और **युनाइटेड स्टेट्स** बनाम **कोजमिंस्कि**[6] वाले मामलों में संयुक्त राज्य के उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया ।

19. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री लूथरा ने दोनों मामलों में प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य की ओर भी न्यायालय का ध्यान दिलाया और यह दलील दी कि इत्तिलाकर्ता और अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए साक्षियों के साक्ष्य में अनेक विरोधाभास थे और ऐसे अविश्वसनीय और अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को अभिकथित अपराधों के लिए पोक्सो अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध करना जोखिमभरा होगा ।

विधिक उपबंध

20. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों की ओर से दी गई

---

[1] (2008) 16 एस. सी. सी. 518.

[2] (2004) 5 एस. सी. सी. 518.

[3] (2009) 1 एस. सी. सी. 516.

[4] (2018) 18 यू. एस. 76.

[5] (1936) 269 यू. एस. 385.

[6] (1988) 487 यू. एस. 931.

परस्पर-विरोधी दलीलों पर विचार करने से पूर्व पोक्सो अधिनियम के सुसंगत उपबंधों को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा । चूंकि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के नाम में यह उल्लिखित है कि यह अधिनियम लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है ।

21. धारा 7 "लैंगिक हमले" के संबंध में है जो निम्न प्रकार से है :–

> "**7. लैंगिक हमला** – जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।"

22. धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है, जो निम्नलिखित है :–

> "**8. लैंगिक हमले के लिए दंड** – जो कोई लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

23. अधिनियम की धारा 9 में वे बातें प्रगणित हैं जिनसे गुरुतर लैंगिक हमला किया जाना कहा जाता है । उक्त उपबंध का खंड (ड) सुसंगत होने के कारण नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "9(ड) – जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है ;"

24. धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का उपबंध करने के

लिए है :–

"**10. गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड** – जो कोई, गुरुतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

25. धारा 11 "लैंगिक उत्पीड़न" के संबंध में है – कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से :–

"(i) कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा ; या

(i) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके ;

(iii) से (iv).....

स्पष्टीकरण – कोई प्रश्न, जिसमें 'लैंगिक आशय' अंतर्वलित है, तथ्य का प्रश्न होगा ।"

26. धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का उपबंध करने के लिए है :–

"**12. लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड** – जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

27. धारा 29 और 30 कानूनी उपधारणाओं के संबंध में है जो निम्नलिखित हैं :–

"**29. कतिपय अपराधों के बारे में अवधारणा**– जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है ।

30. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा – (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी ।"

विश्लेषण

28. दोनों मामलों में, मुख्य संविवाद पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के निर्वचन पर केंद्रित है । यह अति सामान्य बात है कि किसी कानून का निर्वचन करते समय न्यायालयों को विधान मंडल के इसे अधिनियमित करने के आशय को अभिनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए और न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि ऐसे निर्वचन या अर्थान्वयन को स्वीकार किया जाए जिससे विधान मंडल के उद्देश्य का संप्रवर्तन होता हो और इसके संभाव्य दुरुपयोग को रोकता हो । जैसा कि **जे. पी. बंसल** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, कानून विधान मंडल का आदेशपत्र होता है । किसी कानून का निर्वचन या अर्थान्वयन करने का

---

[1] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1405.

प्राथमिक सिद्धांत विधान मंडल के सही आशय (मेंस या सैंटेंशिया लेजिस) का निष्कर्ष निकालना है । उस मामले में यह मत व्यक्त किया गया था कि :–

> "निर्वचन का आधार-तत्व किसी विशिष्ट विचार को संसूचित करने के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कानून में प्रयुक्त किए गए शब्दों के सही अर्थ की खोज करना है । यह काम आसान नहीं है चूंकि यहां तक कि सामान्य बातचीत या पत्राचार में भी प्राय: 'भाषा' का गलत अर्थ लगा लिया जाता है । त्रासदी यह है कि यद्यपि पत्राचार या बातचीत के मामले में उस व्यक्ति, जिसने शब्दों को बोला है या भाषा का प्रयोग किया है, के पास स्पष्टीकरण के लिए जाया जा सकता है, किंतु विधान मंडल के पास नहीं जाया जा सकता है क्योंकि विधान मंडल किसी विधि या अधिनियम का अधिनियमन करने के पश्चात्, जहां तक उस विशिष्ट अधिनियम का संबंध है, पदकार्य-निवृत्त हो जाता है और वह स्वयं इसका निर्वचन नहीं कर सकता है । निस्संदेह, विधान मंडल के पास इस प्रकार बनाई गई विधि का संशोधन या निरसन करने का अधिकार रहता है और इसके अर्थ की भी घोषणा कर सकता है किंतु यह सब विधि बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् केवल एक अन्य विधि या कानून बनाकर कर सकता है ।
>
> .....
>
> 16. अत: जहां 'भाषा' स्पष्ट है, वहां प्रयुक्त किए गए शब्दों से विधान मंडल के आशय का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए । ध्यान में रखी जाने वाली बात यह है कि कानून में क्या कहा गया है और यह भी है कि क्या नहीं कहा गया है । इसके समर्थन में, ऐसा अर्थान्वयन, जिसमें शब्दों का परिवर्धन या प्रतिस्थापन्न अपेक्षित हो या जिसके परिणामस्वरूप शब्द निकल जाते हों, उससे तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह अपवाद के नियम, जिसमें आवश्यकता का नियम भी है, के अंतर्गत न आता हो । {ग्वालियर रेयन्स सिल्क मेन्युफेक्चरिंग (विविंग) कं. लि. **बनाम** कस्टोडियन

ऑफ वेस्टिड फोरेस्ट्स, ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1747, पृ. 1752; श्याम किशोरी देवी **बनाम** पटना नगरपालिका निगम, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1678 पृ. 1682; ए. आर. अंतुले **बनाम** रामदास श्रीनिवास नायक [(1984) 2 एस. सी. सी. 500, पृ. 518, 519] वाले मामले देखें} । वास्तव में, न्यायालय विधान की पुनःरचना नहीं कर सकता है क्योंकि उसे विधान बनाने की शक्ति नहीं है । {केरल राज्य **बनाम** मथई वर्गिस [(1986) 4 एस. सी. सी. 746, पृ. 749; भारत संघ **बनाम** देवकी नंदन अग्रवाल, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 96, पृ. 101 वाले मामले देखें]} ।"

29. **बालाराम कुमावत** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निर्वचन के मूलभूत नियमों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

"20. प्रासंगिक अनुशीलन कानून के निर्वचन की एक भली-भांति परिचित प्रतिपादना है । किसी कानून के खंडों का अर्थान्वयन संदर्भ के मुकाबले अन्य उपबंधों के प्रति निर्देश करके किया जाना चाहिए जिससे विषयवस्तु से संबंधित संपूर्ण कानून का एक संगत अधिनियमन किया जा सके । इस प्रकार की स्थिति में 'कानून का पठन समग्र रूप में न कि खंडों में किया जाना चाहिए' (एक्स विस्सेरिबस ऐक्टस) के नियम का आश्रय लेना चाहिए ।

21. पश्चिम बंगाल राज्य **बनाम** भारत संघ वाले मामले में विद्वान् मुख्य न्यायमूर्ति ने विधि का इस प्रकार उल्लेख किया था –

> न्यायालय को विधान मंडल के आशय को अपना ध्यान न केवल खंडों अपितु संपूर्ण कानून की ओर आकृष्ट करके अभिनिश्चित किया जाना चाहिए ; उसे खंड की तुलना विधि के अन्य भागों और उस स्थापन्न के साथ करनी चाहिए जिसमें निर्वचन किए जाने वाला खंड आता है ।

---

[1] (2003) 7 एस. एस. सी. 628.

22. उक्त सिद्धांत को आर. एस. रघुनाथ **बनाम** कर्नाटक राज्य [(1992) 1 एस. सी. सी. 335 = 1992 एस. सी. सी. (एलएंडएस) 286 = (1992) 19 एटीसी 507 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 81] वाले मामले में दोहराया गया था ।

23. इसके अतिरिक्त, किसी शास्तिक कानून के संबंध में भी सदैव किसी संकीर्ण और पंडिताऊ, अक्षरश: और शाब्दिक अर्थान्वयन को लागू नहीं करना चाहिए । विधि का निर्वचन अपराध की विषयवस्तु और विधि के अभीष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाना होगा । विधि का प्रयोजन विधि के शिकंजे से अपराधी को निकल जाने के लिए अनुज्ञात करना नहीं है । दांडिक विधिशास्त्र ऐसा नहीं कहता है ।

26. अत: न्यायालय उस अर्थान्वयन को नामंजूर कर देंगे जो विधान मंडल के स्पष्ट आशय को विफल करेगा भले ही प्रयुक्त की गई भाषा में कुछ अयथार्थता हो । [साल्वन **बनाम** डनकाम्बे (1886) 11 एसी 627 = 55 एलजेपीसी 69 = 55 एलटी 446 पीसी वाला मामला देखें] । विधान को व्यर्थ बनाने से बचना होगा और किसी मामले में जहां विधान मंडल के आशय को क्रियान्वित न किया जा सकता हो, वहां न्यायालय प्रभावी परिणाम लाने के प्रयोजनार्थ अधिक स्पष्ट अर्थान्वयन स्वीकार करेंगे । न्यायालयों को, जब सोद्देश्य अर्थान्वयन का नियम जोर पकड़ रहा है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए अत्यंत अनिच्छुक होना चाहिए कि संसद् ने जो भाषा प्रयोग की है उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है जबकि यह संतोषजनक रूप से इतनी स्पष्ट हो कि जो वह हासिल करना चाहता है वह हासिल हो रहा हो । [बीबीसी इंटरप्राइसिस **बनाम** हाई-टैक एक्सट्राविजन लि. (1990) 2 इला. ईआर 118 = 1990 सीएच 609 = (1990) 2 डब्ल्यूएलआर 1123 सीए] ।"

30. जहां तक पोक्सो अधिनियम को अधिनियमित करने के उद्देश्य का संबंध है, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन से प्रकट होता है, चूंकि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों को वर्तमान विधियों द्वारा

पर्याप्त रूप से इंगित नहीं किया गया था और बड़ी संख्या में ऐसे अपराधों को न तो विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित किया गया था और न ही उन्हें पर्याप्त रूप से दंडनीय बनाया गया था, इसलिए पोक्सो अधिनियम लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम अधिनियमित करते समय संविधान के अनुच्छेद 15 को, जिसमें राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त किया गया है, और संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों पर अभिसमय, जिसमें बालकों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मानकों का संवर्ग विहित किया गया है, को भी ध्यान में रखा गया था । पोक्सो विधेयक लैंगिक दुरुपयोग और शोषण से सभी बालकों की सुरक्षा, रक्षा और संरक्षण करने के अधिकारों को प्रवृत्त करने के साथ-साथ और बालकों के विरुद्ध अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का भी आशय था ।

31. अब, अधिनियम की धारा 7, जो "लैंगिक हमले" के संबंध में है, को पढ़ने मात्र से यह प्रतीत होता है कि यह धारा दो भागों में है । इस धारा का पहले भाग में लैंगिक आशय से शरीर के विनिर्दिष्ट लैंगिक भागों को स्पर्श करने के कार्य के बारे में वर्णन किया गया है । दूसरे भाग में, लैंगिक आशय से किए गए ऐसे "किसी अन्य कार्य" के बारे में वर्णन किया गया है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो । चूंकि विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री लूथरा द्वारा उक्त धारा में प्रयुक्त "स्पर्श" और "शारीरिक संपर्क" शब्दों के संबंध में विवाद खड़ा किया गया है, पहले उक्त शब्दों के शब्दकोश अर्थ को निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा ।

32. आक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में यथा परिभाषित "स्पर्श" (टच) शब्द से अभिप्रेत "वह भाव है जो आपको वस्तुओं का बोध कराने

में समर्थ करता है और वे कैसी हैं जब आप अपने हाथों और उंगलियों को उन पर रखते हैं" । एडवांस्ड लॉ लैक्सीकॉन, तृतीय संस्करण में यथा परिभाषित "शारीरिक" (फिजिकल) शब्द से अभिप्रेत "शरीर का या शरीर से संबंधित ....." है और "संपर्क" (कांटेक्ट) शब्द से अभिप्रेत "स्पर्श करने की अवस्था या दशा ; स्पर्श, स्पर्श करने का कार्य ....." है । इस प्रकार, "स्पर्श" और "शारीरिक संपर्क" शब्दों के शब्दकोशीय अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता सुश्री गीता लूथरा की इस दलील में पर्याप्त बल पाता है कि विधान मंडल द्वारा धारा 7 में दोनों उक्त शब्दों को अदला-बदली करके प्रयोग किया गया है । "स्पर्श" शब्द को विनिर्दिष्ट रूप से शरीर के लैंगिक भागों के संबंध में प्रयुक्त किया गया है, जबकि "शारीरिक संपर्क" शब्द को किसी अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है । अत: शरीर के लैंगिक भाग को स्पर्श करने का कार्य या शारीरिक संपर्क से अंतर्वलित कोई अन्य कार्य यदि "लैंगिक आशय" से किया जाता है तो पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत "लैंगिक हमले" की कोटि में आएगा ।

33. अभियुक्त की ओर से श्री लूथरा द्वारा दी गई इस दलील से कोई असहमति नहीं हो सकती है कि "लैंगिक हमला" अभिव्यक्ति को धारा 7 में स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए इसे किसी पूर्व-निर्धारित रूपविधान या संरचना तक सीमित नहीं किया जा सकता है और यह एक तथ्य का प्रश्न होगा, तथापि, श्री लूथरा की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि धारा 7 में प्रयुक्त "शारीरिक संपर्क" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन 'त्वचा से त्वचा' के संपर्क के रूप में किया जाना चाहिए । "अमान्य से मान्य करना अच्छा है" (अट रेस मैजिस वेलेट क्यूआम पीरिएट) उक्ति में अंतर्विष्ट अर्थान्वयन के नियम के अनुसार, किसी नियम के अर्थान्वयन को नियम को नष्ट करने की बजाय उसे नियम के रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिए । उपबंध के ऐसे किसी संकीर्ण और पंडिताऊ निर्वचन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिससे उस उपबंध का उद्देश्य विफल होता हो । यह कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि जहां विधान मंडल के आशय को कार्यान्वित न

किया जा सकता हो, वहां न्यायालय एक प्रभावी परिणाम का निष्कर्ष निकालने के प्रयोजनार्थ अधिक स्पष्ट निर्वचन को स्वीकार करेंगे । "स्पर्श" या "शारीरिक संपर्क" शब्दों के निर्वचन को "त्वचा से त्वचा का संपर्क" तक निर्बंधित करना पोक्सो अधिनियम की धारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंध का न केवल एक संकीर्ण और पंडिताऊ निर्वचन करना होगा अपितु इसके परिणामस्वरूप उक्त उपबंध का एक बेतुका निर्वचन हो जाएगा । "लैंगिक हमले" के अपराध का गठन करने के लिए विधान मंडल द्वारा "त्वचा से त्वचा का संपर्क" का आशय नहीं रहा होगा या अनुध्यात नहीं किया होगा । पोक्सो अधिनियम अधिनियमित करने का एकमात्र उद्देश्य लैंगिक दुरुपयोग से बालकों का संरक्षण करना है और यदि ऐसा कोई संकीर्ण निर्वचन स्वीकार किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के उद्देश्य को ही विफल करते हुए एक बहुत ही हानिकारक स्थिति हो जाएगी क्योंकि उस दशा में किसी बालक के शरीर के लैंगिक या अलैंगिक अंगों को दस्ताने, कंडोम, परत या कपड़े से स्पर्श करना, भले ही ऐसा लैंगिक आशय से किया गया हो, पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले के अपराध की कोटि में नहीं आएगा । अधिनियम की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले के अपराध का गठन करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक "लैंगिक आशय" है न कि बालक की "त्वचा से त्वचा" का संपर्क ।

34. इस प्रक्रम पर, सुश्री गीता लूथरा द्वारा उद्धृत निर्णयों में विदेशी न्यायालयों द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों को निर्दिष्ट करना भी उपयोगी होगा, जिनमें उक्त न्यायालयों ने सदृश उपबंधों का निर्वचन करते हुए, जो उन देशों में प्रचलित थे, यह अभिनिर्धारित किया कि लैंगिक हमले के अपराध का गठन करने के लिए "त्वचा से त्वचा का संपर्क" आवश्यक नहीं है । जिस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए वह मध्यवर्ती सामग्री की मौजूदगी या उसका न होना नहीं है, अपितु इस बात को देखा जाना चाहिए कि सामग्री के माध्यम से किया गया संपर्क किसी विशिष्ट कानून के लिए विहित परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं । निस्संदेह, उक्त न्यायालयों के निर्णय संबंधित विधानों में अंतर्विष्ट उपबंधों में परिभाषित पदों से उद्धृत निर्वचन के

आधार पर अग्रसर हुए थे और वे पोक्सो अधिनियम की धारा 7 की भाषा के समरूप नहीं हैं, तो भी "स्पर्श" और "लैंगिक हमला" अभिव्यक्ति का निर्वचन करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत होंगे । **रेजिना** बनाम **एच.**[1] वाले मामले में अपील न्यायालय ने सैक्सुअल ऑफेंसिज एक्ट, 2003, जैसा कि यह यू. के. में प्रवृत्त था, की धारा 3 में अंतर्विष्ट "स्पर्श करना" (टचिंग) शब्द का निर्वचन करते हुए यह मत व्यक्त किया था कि वस्त्रों को स्पर्श करने से उक्त धारा 3 के प्रयोजनार्थ "स्पर्श करना" गठित होगा । इसी प्रकार, **स्टेट ऑफ लोआ** बनाम **वाल्टेयर जेम्स फिप्पस**[2] वाले मामले में लोआ के अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि केवल त्वचा से त्वचा के संपर्क की कमी विधि की दृष्टि से प्रतिवादी के आचरण को "लैंगिक कृत्य" या "लैंगिक क्रियाकलाप", जिसे लोआ संहिता की धारा 702.17 में परिभाषित किया गया है, की परिभाषा से बाहर नहीं कर देती है ।

35. लैंगिक आशय से किसी बालक के शरीर के किसी लैंगिक अंग को स्पर्श करने के कार्य को या किसी अन्य कार्य को, जिसमें लैंगिक आशय से शारीरिक संपर्क करना अंतर्वलित हो, तुच्छ नहीं कहा जा सकता है या महत्वहीन या सतही अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है जिससे कि ऐसे कार्य को धारा 7 के अधीन "लैंगिक हमले" की परिधि से अपवर्जित किया जा सके । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **बालाराम कुमावत** बनाम **भारत संघ** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, विधि का निर्वचन अपराध की विषयवस्तु और विधि के अभीष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना होगा । विधि का प्रयोजन अपराधी को विधि के शिकंजे से निकल जाने के लिए अनुज्ञा देना नहीं हो सकता है ।

36. यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि पोक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, विधान मंडल ने कतिपय कानूनी उपधारणाओं को सम्मिलित किया है । जब किसी

---

[1] (2005) 1 डब्ल्यूएलआर 2005.

[2] 442 एन. डब्ल्यू. 2 डी. 611.

व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहां धारा 29 विशेष न्यायालय को तब तक यह उपधारणा करने की अनुज्ञा देती है कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है । इसी प्रकार, इसकी धारा 30 विशेष न्यायालय को अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करने की अनुज्ञा देती है । निस्संदेह, अभियुक्त प्रतिरक्षा ले सकता है और इस तथ्य को साबित कर सकता है कि इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक दशा नहीं थी । यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि धारा 30 की उपधारा (2) के अनुसार, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तब कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है, धारा 30 का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि इस धारा में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है । इस प्रकार, धारा 7, 11, 29 और 30 का संयुक्त रूप से पठन करने पर तनिक भी संदेह नहीं रह जाता है कि यद्यपि धारा 11 के स्पष्टीकरण के अनुसार "लैंगिक आशय" एक तथ्य का प्रश्न होगा, तो भी विशेष न्यायालय जब किसी तथ्य की विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त संदेह के परे विश्वास करता है, तो वह अभियुक्त की ओर से "आपराधिक मानसिक दशा" की विद्यमानता के बारे में धारा 30 के अधीन उपधारणा कर सकता है ।

37. यह बात इस न्यायालय को श्री लूथरा के इस अगले तर्क की ओर ले जाती है कि धारा 7 में प्रयुक्त "लैंगिक आशय", "कोई अन्य कार्य", "स्पर्श करना" और "शारीरिक संपर्क" अभिव्यक्तियों की परिभाषा

के अभाव के कारण संदिग्धता होने के साथ-साथ अधिनियम की धारा 29 और 30 के अधीन उपधारणाओं से अभियुक्त पर सबूत का विपरीत भार उसके लिए अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करना कठिन कर देता है और इसलिए पोक्सो अधिनियम का निर्वचन अवश्य कड़ाईपूर्वक किया जाना चाहिए । इस न्यायालय की राय में, श्री लूथरा की उक्त दलील से कोई असहमति नहीं हो सकती है । वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में यह अधिकथित किया गया है कि किसी अपराध का अधिनियमन करने वाले या कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले शास्तिक कानून का कड़ाईपूर्वक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । इस बाबत, **साक्षी** बनाम **भारत संघ**[1], **आर. कल्याणी** बनाम **जनक सी. मेहता और अन्य**[2] तथा **पंजाब राज्य** बनाम **गुरमीत सिंह**[3] वाले मामलों में विनिश्चयों के प्रति उपयोगी निर्देश किया गया । तथापि, यह भी समान रूप से स्थिर विधिक स्थिति है कि किसी कानून के खंडों का अर्थान्वयन संदर्भ के मुकाबले अन्य उपबंधों के प्रति निर्देश करके किया जाना चाहिए जिससे विषयवस्तु के संबंध में संपूर्ण कानून का एक संगत अधिनियमन किया जा सके । यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि किशोर आयु के बालकों पर कारित मानसिक आघात पहुंचाने वाले लैंगिक हमले के प्रभाव को उनके संपूर्ण जीवन के दौरान सहना पड़ सकता है और उनकी मानसिक दशा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । कतिपय मामलों में विपदग्रस्तों की पीड़ा अपरिमित हो सकती है । अत: पोक्सो अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार करते हुए इसके उपबंधों, विशिष्ट रूप से लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न आदि से संबंधित उपबंधों का अर्थान्वयन अन्य उपबंधों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिससे अधिनियम के उद्देश्यों को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके ।

38. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री लूथरा की प्रेरणा पर "रियायत के नियम" का किया गया आह्वान भी पूरी तरह से भ्रामक है । श्री

---

[1] (2004) 5 एस. सी. सी. 518.

[2] (2009) 1 एस. सी. सी. 516.

[3] (2014) 9 एस. सी. सी. 632.

लूथरा ने **लाडनेर** बनाम **युनाइटेड स्टेट्स**[1], **युनाइटेड स्टेट्स** बनाम **कोजमिंस्कि** (उपर्युक्त) और **युनाइटेड स्टेट्स** बनाम **विल्ट बर्जर** (उपर्युक्त) वाले मामले में युनाइटेड स्टेट्स के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अवलंब लेते हुए यह दलील देने की ईप्सा की कि "रियायत का नियम" न्यायालय से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी दांडिक कानून में कानूनी संदिग्धता का निराकरण अभियुक्त के पक्ष में करे या कानून का कड़ाईपूर्वक अर्थान्वयन राज्य के विरुद्ध करे । श्री लूथरा की उक्त दलील को विधि की इस स्थिर प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कानूनी संदिग्धता का अवलंब निर्वचन के अंतिम आश्रय के रूप में लिया जाना चाहिए । जहां विधान मंडल ने अपना आशय स्पष्ट किया हो, वहां न्यायालय उस आशय को विफल करने के लिए संदिग्धता का निर्माण नहीं कर सकते हैं । इस बाबत, सुश्री गीता लूथरा ने **दि पीपॅल** बनाम **रेड-II**[2] वाले मामले में अपील न्यायालय, कैलिफोर्निया द्वारा की गई स्पष्ट मताभिव्यक्तियों का ठीक ही अवलंब लिया है, जो निम्नलिखित हैं :–

> "रियायत के नियम की 'कसौटी' 'कानूनी संदिग्धता' है । [बिफुल्को **बनाम** युनाइटेड स्टेट्स (1980) 447 यू. एस. 381, 387, 100, एस. सीटी. 2247, 65 एल. ईडी. 2डी 205] । यह नियम ..... केवल तब लागू होता है यदि न्यायालय उस अनुमान से ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकता है जो विधायी निकाय का आशय था ; इस नियम के अवलंब को न्यायोचित ठहराने के लिए घोर असंदिग्धता और अनिश्चतता होनी चाहिए । [पीपॅल **बनाम** ऐवरी (2002) 27 कैलि. 49, 58, 115 कैलि. 403, 38 पी. 3डी 1] । जहां विधान मंडल ने अपना आशय स्पष्ट किया हो, वहां न्यायालय उस आशय को विफल करने के लिए संदिग्धता का निर्माण नहीं कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, 'संदिग्धताओं का निर्वचन प्रतिवादी के पक्ष में नहीं किया जा सकता है यदि ऐसे निर्वचन से

---

[1] 358 यू. एस. 169.

[2] 246 कैलि. एपीपी. चौथा, 822.

बेतुका परिणाम निकलता है या ऐसा परिणाम निकलता है जो स्पष्ट विधायी आशय से विसंगत है ।' [पीपॅल **बनाम** क्रुज (1996) 13 कैलि. 764, 783, 55 कैलि. रिपोर्टर 2डी 117, 919 पी. 2डी 731]" ।

39. यह भी अतिसामान्य बात है कि न्यायालय को उन शब्दों में, जो स्पष्ट हैं, संदिग्धताओं या अस्पष्टताओं की तलाश करने में अति उत्साही नहीं होना चाहिए । (**आईआरसी** बनाम **रोस्समिनिस्टर लि.** वाला मामला देखें) । जहां तक पोक्सो अधिनियम की धारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों का संबंध है, यह न्यायालय कोई असंदिग्धता या अस्पष्टता नहीं पाता है जिससे कि रियायत के नियम का अवलंब लिया जा सके ।

निष्कर्ष

40. पूर्व-चर्चित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-सतीश के मामले में उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 354 के अधीन लघु अपराधों के लिए दोषी अभिनिर्धारित करके और उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त करके गलती की थी । उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के बारे में विपदग्रस्त और उसकी माता अर्थात् इत्तिलाकर्ता के इन संगत वृत्तांतों को स्वीकार करते हुए कि अभियुक्त विपदग्रस्त को अपने मकान में ले गया था, विपदग्रस्त के स्तनों को दबाया था, उसकी सलवार को हटाने का प्रयत्न किया था और उसका मुंह दबाया था, यह अभिनिर्धारित करके गंभीर गलती की थी कि बारह वर्ष की आयु के बालक के स्तनों को दबाने का कृत्य किसी ऐसे विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अभाव में कि क्या टॉप हटाया गया था या क्या उसने अपने हाथों को टॉप के अंदर घुसेड़ा था और उसके स्तनों को दबाया था, लैंगिक हमले की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आएगा । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में भी गलती की थी कि कोई अपराध नहीं हुआ था चूंकि लैंगिक

आशय से कोई प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अर्थात् "त्वचा से त्वचा" का संपर्क नहीं हुआ था ।

41. उच्च न्यायालय की प्रेरणा पर "उसी किस्म या प्रकार का" (ऐजुसडेम जेनेरिस) के सिद्धांत के आधार पर भी किया गया धारा 7 का निर्वचन पूरी तरह से भ्रामक है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि "उसी किस्म या प्रकार का" (ऐजुसडेम जेनेरिस) के सिद्धांत को केवल कानून के अर्थान्वयन की सहायता के रूप में लागू किया जाना चाहिए । इसे वहां लागू नहीं करना चाहिए जहां इससे विधायी आशय ही विफल होता हो । स्थिर विधिक स्थिति के अनुसार, यदि धारा में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट शब्दों से कोई वर्ग नि:शेष होता हो, तो यह अर्थान्वयन किया जाना चाहिए कि विधायी आशय विनिर्दिष्ट शब्दों द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से परे साधारण शब्द का प्रयोग करना था । जहां तक पोक्सो अधिनियम की धारा 7 का संबंध है, इसके पहले भाग में विनिर्दिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमले के कृत्य के एक वर्ग को नि:शेष बनाया गया है और दूसरे भाग में विनिर्दिष्ट शब्दों द्वारा निर्दिष्ट वर्ग से परे साधारण कृत्य का प्रयोग किया गया है । दूसरे शब्दों में, जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है, वह "लैंगिक हमले" का अपराध कर रहा होगा । इसी प्रकार, जो कोई लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित होता है, भी पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन "लैंगिक हमले" का अपराध करेगा । पहले की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष के लिए अधिनियम की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले के आरोप को साबित करने के प्रयोजनार्थ "त्वचा से त्वचा" के संपर्क को साबित करना अपेक्षित नहीं था ।

42. अभियोजन पक्ष द्वारा परिवर्ती परिस्थितियां जैसे अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त को अपने मकान में ले जाना, अभियुक्त द्वारा विपदग्रस्त की माता को यह झूठ बोलना कि विपदग्रस्त उसके मकान में

नहीं है, माता द्वारा अपनी पुत्री को अभियुक्त के मकान के प्रथम तल के कमरे में पाया जाना और विपदग्रस्त द्वारा अपनी माता को घटना का वर्णन किया जाना, साबित की गई थीं, बल्कि अभियुक्त की ओर से उक्त तथ्यों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे मूलभूत तथ्यों को साबित करने पर न्यायालय अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा के बारे में कानूनी उपधारणा करने का हकदार था, जिसके लिए उसे उक्त अधिनियम की धारा 30 के अधीन अनुज्ञात किया गया है । अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का यह साबित करके खंडन नहीं किया गया है कि उसकी ऐसी कोई मानसिक दशा नहीं थी । अत: अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा अनुध्यात लैंगिक आशय के अभिकथन को भी साबित किया गया है । अत: इस न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने न केवल अभियुक्त की ओर से लैंगिक आशय को साबित किया था अपितु इन अभिकथित कृत्यों को भी साबित किया था कि उसने विपदग्रस्त के स्तनों को दबाया था, उसकी सलवार को हटाने का प्रयत्न किया था और उसके मुंह को दबाकर बल का भी प्रयोग किया था । ये सभी कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा अनुध्यात और धारा 8 के अधीन दंडनीय "लैंगिक हमले" के कृत्य थे ।

43. जहां तक अन्य अभियुक्त-लिबनिस का संबंध है, उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम रखते हुए उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 10 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया था । आवश्यक रूप से, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया था कि अभियुक्त अभियोक्त्री के मकान में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से घुसा था, यह भी अभिनिर्धारित किया था कि "अभियोक्त्री के हाथों को पकड़ने" या "पैंट की जिप को खोलने" के कृत्य लैंगिक हमले की परिभाषा में ठीक नहीं बैठते हैं । इस न्यायालय की राय में, उच्च न्यायालय ने ऐसे निष्कर्ष

अभिलिखित करके गंभीर गलती की थी । जब अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के लैंगिक आशय से उसके मकान में घुसने, उसके हाथों को पकड़ने और अपनी पेंट की जिप खोलकर अपने लिंग को दिखाने के अभिकथित कृत्यों को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया अभिनिर्धारित किया गया है, तब उच्च न्यायालय के लिए ऐसे कृत्यों को पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत "लैंगिक हमलों" के कृत्यों के रूप में न समझने का कोई कारण नहीं था । यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अधीन "गुरुतर लैंगिक हमले" के अपराध के लिए विहित पांच वर्ष के न्यूनतम दंडादेश की बात से प्रभावित हो गया था क्योंकि अभियोक्त्री की आयु पांच वर्ष थी और लैंगिक हमला यदि ऐसे विपदग्रस्त पर कारित किया गया है जिसकी आयु बारह वर्ष से कम है, तो उसे अधिनियम की धारा 9(ड) के अनुसार "गुरुतर लैंगिक हमले" के रूप में समझा जाना आवश्यक है । तथापि, न तो न्यूनतम दंड की अवधि और न ही विपदग्रस्त की आयु अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के शिकंजे से बच निकलने का आधार हो सकते हैं । अभियुक्त के अभियोक्त्री के मकान में उसकी लज्जा भंग करने के लैंगिक आशय से घुसना, उसके हाथों को पकड़ना और अपनी पेंट की जिप को खोलकर अपने लिंग को अभियोक्त्री को दिखाने के अभिकथित कृत्यों को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया अभिनिर्धारित किया गया है, इसलिए वे कृत्य निश्चित रूप से धारा 7 के दूसरे भाग अर्थात् "..... या लैंगिक आशय से अन्य कोई कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो" में यथा अनुध्यात "लैंगिक हमले" की परिधि के अंतर्गत आने वाले कृत्य होंगे । अत: इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त-लिबनिस ने पोक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थांतर्गत "लैंगिक हमले" का अपराध कारित किया था और अभियोक्त्री की आयु बारह वर्ष से कम होने के कारण उसने उक्त अधिनियम की धारा 9(ड) के अधीन यथा अनुध्यात "गुरुतर लैंगिक हमले" का अपराध कारित किया था जो पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के अधीन पांच वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडित किए जाने के लिए दायी है ।

मामले की इस दृष्टि से, उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश, जहां तक इसमें अभियुक्त-लिबनिस की पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 10 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्धि को अपास्त किया गया है, अपास्त किए जाने योग्य है और विशेष न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को प्रत्यावर्तित किया जाना अपेक्षित है ।

आदेश

44. पूर्वोक्त आधार पर, बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ द्वारा 2020 की दांडिक अपील सं. 161 और 2020 की दांडिक अपील सं. 445 में क्रमश: तारीख 19 जनवरी, 2021 और 15 जनवरी, 2021 को पारित किए गए निर्णयों और आदेशों को तद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है और 2017 के विशेष बालक संरक्षण मामला सं. 28 में अतिरिक्त संयुक्त अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा और 2009 के पोक्सो मामला सं. 7 में विशेष न्यायालय, गढ़चिरोली द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2020 और 5 अक्तूबर, 2020 को पारित किए गए निर्णयों और आदेशों को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

45. तद्नुसार, अभियुक्त-सतीश को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 354 और 363 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तद्द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है । उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और उसका व्यतिक्रम करने पर एक माह की अवधि का साधारण कारावास भुगतने का निदेश दिया जाता है । चूंकि उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के अधीन बड़े अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया है, इसलिए उस पर भारतीय दंड संहिता के अधीन अन्य अपराधों के लिए कोई अलग दंडादेश अधिरोपित नहीं किया जाता है ।

46. अभियुक्त-लिबनिस पुत्र फ्रासिस कुजूर को तद्द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क(1)(i) और 448 के अधीन दंडनीय अपराधों के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 9(ड) के साथ पठित धारा 8, 12

और 10 के अधीन अपराधों के लिए भी दोषसिद्ध किया जाता है । उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपराध के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने और 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए केवल) के जुर्माने का संदाय करने और उसका व्यतिक्रम करने पर छह माह की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतने का निदेश दिया जाता है । चूंकि उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के अधीन बड़े अपराध के लिए दंडादिष्ट किया गया है, इसलिए उस पर भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम के अधीन अन्य अपराधों के लिए कोई अलग दंडादेश अधिरोपित नहीं किया जा रहा है ।

47. दोनों अभियुक्तों सतीश और लिबनिस को आज से चार सप्ताह के भीतर संबंधित विशेष न्यायालयों के समक्ष स्वयं को अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है ।

48. विलग होने से पूर्व, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अभियुक्त-लिबनिस के मामले में महाराष्ट्र राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करते समय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की थी, तथापि, एक प्रमाणित प्रति की एक प्रति प्रस्तुत की थी जिसमें उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 448 और 354-क(1)(i) के अधीन उसकी दोषसिद्धि को कायम रखते हुए पोक्सो अधिनियम की धारा 8, 10 और 12 के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्ति अभिलिखित की थी, जबकि अभियुक्त की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई प्रत्यर्थी/अभियुक्त द्वारा डाउनलोड की गई उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय की प्रति में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 354-क(1)(i) के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि अभिलिखित की थी । उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय की उक्त दो प्रतियों में विसंगति होने के कारण प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने इस विसंगति के बारे में इस न्यायालय का ध्यान दिलाने के लिए एक अंतरिम आवेदन फाइल किया था । अत: इस न्यायालय ने तारीख 27 अक्तूबर, 2021 के

अपने आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को 2020 की दांडिक अपील सं. 445 में तारीख 15 जनवरी, 2021 को पारित किए गए उच्च न्यायालय के विनिश्चय की प्रमाणित प्रति भेजने का निदेश दिया था । तद्नुसार, बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार ने उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति भेजी थी ।

49. यह देखकर बड़ी हैरानी हुई है कि बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ की रजिस्ट्री ने आक्षेपित निर्णय की प्रति को निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ की पिछली तरफ जो कि कोरा है पर मुहर लगाकर प्रमाणित किया है । यह प्रतीत होता है कि निर्णय की प्रति वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और इसलिए हस्ताक्षर तक नहीं हैं या निर्णय के अंत में संबंधित न्यायाधीश का नाम तक नहीं है । यह प्रमाण पत्र कि उक्त प्रति निर्णय की एक सही प्रति है, निर्णय के पाद भाग पर भी नहीं लिखा है, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में अनुध्यात है । ऐसी परिपाटी का, यदि बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायपीठ द्वारा अनुसरण किया जाता है तो अपराधियों द्वारा न्यायिक आदेशों के साथ छलसाधन या रिष्टि कारित की जा सकती है, जो कि लोक दस्तावेजों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और न्यायिक कार्यवाहियों में अत्यधिक महत्व होता है । अत: बंबई उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को मामले पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि न्यायालय के निर्णयों/आदेशों की प्रमाणित प्रतियां तैयार करने के लिए विधि के अनुसार उचित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।

50. तद्नुसार, सभी पांचों अपीलों का निपटारा किया जाता है ।

51. यदि हम विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे, विद्वान् न्याय मित्र, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के माध्यम से अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा, राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता सुश्री गीता लूथरा और सभी अन्य अधिवक्ताओं, जो इस मामले में हाजिर हुए हैं, द्वारा की गई अत्यधिक

सहायता के लिए सराहना नहीं करते हैं, तो हमारी ओर से यह असफलता होगी ।

भारत के विद्वान् महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा इस निमित्त अपनी चिंता अभिव्यक्त करते हुए अपील फाइल करने में की गई पहल भी सराहनीय है ।

अपीलों का निपटारा किया गया है ।

न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट – मैं इस सम्मत राय का प्रारंभ इस प्राक्कथन से करता हूं कि मैं न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के व्यापक निर्णय में अभिलिखित परिणामों और निष्कर्षों से पूर्णतया और नि:संकोच रूप से सहमत हूं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रयास को कुछ कहने के लिए कहने का प्रयत्न करने के रूप में नहीं समझता हूं और तद्द्वारा न्यायमूर्ति त्रिवेदी के विश्लेषण में कुछ महत्व जोड़ रहा हूं, किंतु केवल आवश्यक रूप से थोड़ी भिन्न दिशा में निर्देश करके, जो उन परिस्थितियों के संदर्भ में कानून का निर्वचन करने के लिए आवश्यक है जो उसके शुरुआत से ही पैदा हुई हैं ।

2. अपीलाधीन निर्णय लेविस केरोल्स एलाइस इन वंडरलेंड से एक लेखांश का स्मरण कराते हैं, जिसमें उसने उन शब्दों (या अभिव्यक्तियों) के अर्थ को वर्णित किया है और क्या उनका वास्तव में कोई अंतर्भूत अर्थ है :–

> "जब मैं हम्पी-डम्पी शब्द का प्रयोग करता हूं, तो इसे एक तिरस्कारात्मक लहजे में कहता हूं, 'इसका ठीक वही अर्थ है जो मैं इसका अर्थ लगाना चाहता हूं – न तो इससे ज्यादा और न ही इससे कम ।'
>
> 'प्रश्न यह है', एलाइस ने कहा, 'क्या आप बहुत सारे विभिन्न तरीकों से शब्दों का अर्थ लगा सकते हैं ।'
>
> 'प्रश्न यह है' उक्त हम्पी-डम्पी, जो कि मास्टर होना चाहिए – बस और कुछ नहीं ।"

3. इस मामले को इस संदर्भ में रखते हुए, जो विवाद्य है, वह किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर "लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करना" अभिव्यक्ति के सही निर्वचन का है । ऐसा कृत्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् पोक्सो कहा गया है) की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले का अपराध है और धारा 8 के अधीन दंडनीय है । उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्वचन के अनुसार, कोई कार्य अपराध होने के लिए, कानून द्वारा वर्णित भागों में से किसी को (योनि, लिंग, गुदा या स्तन) स्पर्श करना उसके इन अंगों में से होना आवश्यक है और "त्वचा से त्वचा" का संपर्क होना चाहिए ।

4. मैं उन तथ्यों या तर्कों को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, जिन्हें न्यायमूर्ति त्रिवेदी के निर्णय में उचित रूप से और ठीक प्रकार से उपवर्णित किया गया है । इसके बजाय, मैं पोक्सो के उपबंधों के निर्वचन और निर्वचन के उस उचित नियम के कार्य के लिए अग्रसर होऊंगा जो ऐसे मामलों में अपनाया जाना चाहिए । बहुत पहले, **भारत का रिजर्व बैंक** बनाम **पियरलैस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि. और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने किसी विधि के उन उपबंधों, जिनका निर्वचन किया जाना अपेक्षित है, के संदर्भ में यह के संदर्भ की आवश्यकता पर, उसके पाठ पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मत व्यक्त किया था :–

> "यदि कानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में कानून बनाने वाले की दृष्टि से, उसके संदर्भ, उसकी स्कीम के अनुसार पढ़ा जाए तो धारा, खंड, वाक्यांश तथा शब्दों के भिन्न भाव होंगे तथा वे भिन्न दिखाई देंगे, उस स्थिति की बनिस्वत जब कानून को संदर्भ के बिना पढ़ा जाता है । इस दृष्टि से हमें संपूर्ण अधिनियम को देखना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि संपूर्ण अधिनियम की स्कीम में ठीक बैठने के लिए प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश तथा प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है तथा वे क्या कहने के

---

[1] [1987] 2 उम. नि. प. 885 = (1987) 1 एस. सी. सी. 424.

लिए रखे गए हैं । कानून के किसी भाग का तथा कानून के किसी शब्द का पृथक् रूप से अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता है । कानून का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाना होता है जिससे कि प्रत्येक शब्द का एक स्थान हो तथा प्रत्येक बात अपने-अपने स्थानों पर हो ।"

5. इसके पश्चात् प्रश्न यह है कि क्या "स्पर्श करना" का एक अंतर्भूत अर्थ है, जैसा कि एलाइस ने कहा है, या क्या इसका केवल वही अर्थ है जो न्यायाधीश इसका अर्थ बताते हैं, न तो अधिक और न कम ।

6. किसी कानून, विशिष्ट रूप से किसी नए कानून का निर्वचन करने की समय की कसौटी पर कसी गई और भलीभांति स्वीकार्य पद्धति "रिष्टि का नियम" लागू करना है – जिसे सर्वप्रथम **हेडन**[1] वाले मामले में कहा गया था जिसमें किसी नई विधि या उपबंध का अर्थान्वयन करने में सहायता के रूप में कार्य करने के लिए चार-सूत्रीय सिद्धांत अंतर्विष्ट है । ये हैं – प्रथमत:, अधिनियम बनाए जाने से पूर्व कॉमन विधि क्या थी ; द्वितीय, वह रिष्टि और त्रुटि क्या थी जिसके लिए कॉमन विधि में उपबंध नहीं किया गया था ; तृतीय संसद् ने समाज को तंग करने वाले रोग को ठीक करने के लिए किस उपचार का संकल्प लिया है और निश्चित किया है ; और अंतिमत: इस उपचार का सही कारण क्या था । **हेडन** वाले मामले के निर्णय में इस बात पर बल दिया गया था कि न्यायालयों को सदैव विधि का ऐसा निर्वचन करना चाहिए जिससे रिष्टि का दमन किया जा सके और उपचार को अग्रसर किया जा सके तथा रिष्टि जारी रखने के लिए जटिल आविष्कारों और अपवंचनों का दमन हो सके और जनहिताय अधिनियम बनाने वालों के सही आशय के अनुसार ईलाज और उपचार के लिए बल और जीवन की अभिवृद्धि की जा सके । **कंवर सिंह** बनाम **दिल्ली प्रशासन** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस नियम का अनुमोदन किया गया था और इसके तात्पर्य को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया था :–

---

[1] 76 ई. आर. 637.

"किसी कानून का अर्थान्वयन करने में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधान मंडल के आशय को कार्यान्वित करे । अत: यदि प्रारूपकार द्वारा प्रयुक्त किए गए किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ देना, विशिष्ट रूप से किसी शास्तिक कानून में, विधान मंडल के उद्देश्य को विफल कर देगा जो कि किसी रिष्टि के दमन के लिए है और न्यायालय शब्दकोशीय अर्थ से और यहां तक कि उस शब्द के लोकप्रिय अर्थ से भी विचलन कर सकते हैं और इसकी बजाय इसका ऐसा अर्थ दिया जाए जिससे उपचार अग्रसर होगा और रिष्टि का दमन होगा ।"

7. **स्वन्तराज और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में ऐसे कानूनी अर्थान्वयन वाले उद्देश्य को सारगर्भित रूप से और सरलता से प्रस्तुत किया गया था :–

"प्रत्येक विधान एक सामाजिक दस्तावेज होता है और हेडन वाले मामले (1) के इस नियम से कि बुराई को समाप्त किया जाए और उपचार की अभिवृद्धि की जाए, सूत्र के रूप में न्याय का अर्थान्वयन और कानूनी उद्देश्य की भाषा के गूढ़ अर्थ की व्याख्या करता है ।"

8. इस न्यायालय ने **ईरा** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली)**[2] वाले मामले में अपने विनिश्चय का स्मरण किया था जिसमें रिष्टि के नियम की विशिष्ट रूप से पोक्सो के संबंध में सराहना की गई थी और इसे लागू किया गया था ।

9. उस रिष्टि का पता लगाने के लिए जिसे संसद् समाप्त करना चाहती थी, उस विधि के इतिहास का संक्षेप में पता लगाना आवश्यक होगा जो पोक्सो अधिनियमित करने से पूर्व विद्यमान थी । भारतीय दंड संहिता में ऐसे हमले या आपराधिक बल के प्रयोग को दंडनीय (धारा 354 द्वारा) बनाया गया है जिससे किसी स्त्री की लज्जा भंग होती है ।

---

[1] [1974] 1 उम. नि. प. 1953 = (1975) 3 एस. सी. सी. 322.

[2] (2017) 15 एस. सी. सी. 133.

"आपराधिक बल" अभिव्यक्ति धारा 350 में परिभाषित है और "हमला" धारा 351 में परिभाषित है । इनमें स्त्री पर शारीरिक बल का प्रयोग करने के तत्व का होना अपेक्षित है । "लज्जा" अभिव्यक्ति की एक अन्य परिसीमा थी क्योंकि पुराने विनिश्चयों से यह दर्शित होता है कि ऐसी दशा स्त्री की मर्यादा से जुड़ी थी । (**रूपन देओल बजाज** बनाम **के. पी. एस. गिल**[1] वाला मामला देखें) । इसने **पितृसत्ता और वर्ग**[2] का एक आयाम जोड़ दिया । कोई भी उन परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है जिनमें औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उस समय पर इन उपबंधों को अधिनियमित किया गया था जब स्वयंमेव स्त्री की शक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता था या उसकी सीमित पहचान थी । इसके अतिरिक्त, भारत में, 19वीं शताब्दी के मध्य में, भारतीय दंड संहिता के अधिनियमन के समय के दौरान स्त्रियां अपने पिता या अपने पति या अन्य पुरुष नातेदारों की देखरेख में अधीनस्थ समझी जाती थीं । उनका स्थावर संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था ; लैंगिक समानता की धारणा सुनी नहीं जाती थी या अनुज्ञात नहीं थी । स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं था । स्वाभाविक रूप से, स्त्रियों की गरिमा या वास्तव में उनकी स्वायतता के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया था ।

10. भारत के संविधान के आगमन ने कमोवेश विधि में ये सब प्रकार की कायापलट कर दी । लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म या क्षेत्र अथवा सभी अभिस्वीकृत पंथ और रुकावटों को समर्थ बनाने वाले भेदभाव को ध्यान में लाए बिना प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समता और विधि के

---

[1] (1995) 6 एस. सी. सी. 194.

[2] धारा 354 (या भारतीय दंड संहिता के किसी अन्य उपबंधों) 'लज्जा' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, और समय-समय पर इसका निर्वचन मौटे तौर पर समाज में स्त्रियों की विकासशील और अभिस्वीकृत भूमिका के समकालीन इसकी अंतर्निहित औपनिवेशिक और पितृसत्तात्मक उद्भवों पर काबू पाने के लिए किया गया । अभी भी, अवशेष बचे थे, जैसा कि कालियास और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2011) 1 एस. सी. सी. 293] वाले हाल ही के निर्णय में देखा गया है, जिसमें इस घिनौनी दलील को कि जनजाति लोगों की 'हीनता' के कारण जनजाति की स्त्रियों की 'लज्जा' सुभिन्न थी जो जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों में रहते हैं या उचित वस्त्रों में नहीं रहते हैं, आधुनिक भारत में पूर्णत: अस्वीकार्य होने के कारण नामंजूर कर दी गई थी ।

समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) का उपभोग करता है । इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15(1) के उपबंध में राज्य द्वारा विभिन्न आधारों पर, जिसमें लिंग भेद भी है, विभेद (इसके सभी रूपों में) को अभिनिषिद्ध किया गया है । अनुच्छेद 15(3) में राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंधों को अधिनियमित करने के लिए समर्थ बनाया गया है ।

11. ऐसे कार्यों से निपटने के लिए विधि की परिसीमाओं की, जो स्त्रियों और बालकों की गरिमा और स्वायतता को कम करते हैं जिसके अंतर्गत वह व्यवहार है जिसे अब अश्लील साहित्य की 'ओट' या शारीरिक संपर्क और इससे सहबद्ध कृत्य की संज्ञा दी गई है, जो किसी शास्तिक विधि की विषय-वस्तु नहीं थे, **अन्य देशों में**[1] उनकी पहचान की गई और समुचित विधायी उपाय अपनाए गए हैं । इनका न्यायमूर्ति त्रिवेदी के निर्णय में विस्तारपूर्वक संकेत किया गया है । इन विधियों में वे सूक्ष्म भेद वाले उपबंध अंतर्विष्ट हैं जिनमें उस व्यवहार को आपराधिक बनाया गया है जिनमें विभिन्न प्रकार और किस्मों के अवांछित शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हैं और स्त्रियों तथा अप्राप्तव्ययों (जिनमें दोनों में से किसी भी लिंग के अप्राप्तव्यय सम्मिलित हैं) का उत्पीड़न और नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है ।

12. भारत में, विधि आयोग की 146वीं रिपोर्ट (1993), 156वीं रिपोर्ट (1997) और 172वीं रिपोर्ट (2000) में कुछ इसी प्रकार के और सहबद्ध मुद्दों पर विचार किया गया था । 172वीं रिपोर्ट में बलात्संग की परिभाषा में परिवर्तन करने, इसकी व्याप्ति का विस्तार करने और लैंगिक हमले की विस्तारित परिभाषा को सम्मिलित करने की भी सिफारिश की गई थी । इन सिफारिशों और बालकों के अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन, 1992 पर भारत के अनुसमर्थन (जिसमें राष्ट्र राज्यों से

---

[1] यूके सैक्सुअल ऑफेंसिस ऐक्ट, 2003 की धारा 2, 3, 6, 7 और 78 ; भाग 5 ; सैक्सुअल ऑफेंसिस, पब्लिक मोरल्स एंड डिस्ऑर्डरली कंडक्ट (धारा 151-153), क्रिमिनल कोड, 1985 ऑफ दि डोमिनियन ऑफ कनाडा, क्रिमिनल लॉ (सैक्सुअल ऑफेंसिस एंड रिलेटिड मैटर्स) (संशोधन) ऐक्ट की धारा 5, 6, 7, 15, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका द्वारा अधिनियमित और न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया द्वारा अधिनियमित विधियों में संशोधन और उनके विधानमंडलों द्वारा न्यूयार्क दंड विधियां ।

बालकों के लैंगिक क्रियाकलाप में प्रपीड़न, बालकों और बालकों के शोषणात्मक प्रयोग और अश्लील साहित्य के लिए बालकों के शोषण पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त विधान अपनाने की अपेक्षा की गई थी) ने पोक्सो का अधिनियमन करने के लिए पृष्ठभूमि और आधार तैयार किया । पोक्सो के लिए उद्देश्यों और कारणों के कथन में यूएन अभिसमय (कन्वेंशन) को उद्धृत किया गया है और यह भी कहा गया है कि :–

> "..... राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से यह दर्शित होता है कि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है । इसकी संपुष्टि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए 'बालकों के दुरुपयोग पर अध्ययन : भारत 2007' से होती है । इसके अतिरिक्त, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों को विद्यमान विधियों द्वारा पर्याप्त रूप से इंगित नहीं किया गया है । बड़ी संख्या में ऐसे अपराधों के लिए न तो विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है और न ही उन्हें पर्याप्त रूप से शास्तिक बनाया गया है । विपदग्रस्त तथा साक्षी दोनों के रूप में बालकों के हितों को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है ।
>
> यह महसूस किया गया है कि बालकों के विरुद्ध अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है और एक प्रभावी भयोपरतिकारिता के रूप में आनुपातिक शास्तियों के माध्यम से इसका सामना किया जाना चाहिए । अत: एक स्वत:पूर्ण व्यापक विधान को अधिनियमित करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लैंगिक अपराधों और अश्लील साहित्य से बालकों का संरक्षण करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर बालकों के हित और सुविधा के रक्षोपाय के लिए सम्यक् ध्यान रखते हुए और रिपोर्ट करने के लिए बालक-अनुकूल प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए, साक्ष्य अभिलिखित करने, अन्वेषण करने और अपराधों का विचारण करने और ऐसे अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करने के लिए उपबंध किया जा

सके ।"[1]

13. समानांतर रूप से, यह उल्लेख करना भी उपयोगी होगा कि वर्ष 2012 में एक विधेयक की पुर:स्थापना के माध्यम से भारतीय दंड संहिता को संशोधित किए जाने की ईप्सा की गई थी, जो कुछ कारणों से सिरे नहीं चढ़ सका, इसके बजाय ये संशोधन एक अध्यादेश [2003 का दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश (सं. 3)] के माध्यम से किए गए थे जिसे बाद में एक संसदीय अधिनियम [दंड विधि (संशोधन) अधिनियम (2013 का अधिनियम सं. 13)] द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था । इन संशोधनों से कतिपय अपराधों (धारा 354 सहित) के लिए दंड में वृद्धि की गई थी और भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित करते हुए नए अपराध पुर:स्थापित किए गए थे जैसे लैंगिक उत्पीड़न (धारा 354क) जो ऐसा अपराध है ।

14. इस पृष्ठभूमि में, पोक्सो के उपबंधों का विश्लेषण करना चाहिए । इसके अध्याय 2 और 3 में विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों को रेखांकित किया गया है जिनसे बालकों का संरक्षण करने की आवश्यकता है । अध्याय 2 के भाग-क में अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमले को इंगित किया गया है । भाग-ख उन परिस्थितियों के संबंध में है जिनमें ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला अधिनियम की धारा 5 के अधीन 'गुरुतर' प्रकृति का हो जाता है । भाग-ग अधिनियम की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले को परिभाषित करता है । भाग-घ अधिनियम की धारा 9 के अधीन गुरुतर

---

[1] अलख आलोक श्रीवास्तव **बनाम** भारत संघ [(2018) 17 एस. सी. सी. 291] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख किया गया था जहां इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि "पोक्सो अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 के अधीन मूल धारणा को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है जो राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए सशक्त करता है और अनुच्छेद 39(च) में भी यह उपबंधित है कि राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए ।"

लैंगिक हमले के संबंध में है । भाग-ड़ अधिनियम की धारा 11 के अधीन लैंगिक उत्पीड़न को रेखांकित करता है । अध्याय 3 अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग करने के संबंध में है ।

15. इन अपराधों के लिए दंड प्रत्यक्ष रूप से अपराध की कठोरता के आनुपातिक है । प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 3) 10 वर्ष से अन्यून कारावास से दंडनीय है जो धारा 4 के अधीन जुर्माने के संदाय के अतिरिक्त आजीवन कारावास तक हो सकेगा ; गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले (धारा 5) के लिए बीस वर्ष की अवधि का कठोर कारावास है जो धारा 6 के अधीन अपराधी के नैसर्गिक जीवन तक हो सकेगा । लैंगिक हमले (धारा 7) के लिए तीन वर्ष से अन्यून का कारावास है और धारा 8 के अधीन जुर्माने सहित पांच वर्ष तक हो सकेगा ; गुरुतर लैंगिक हमले (धारा 9) को पांच वर्ष से अन्यून कारावास से दंडित किया गया है और धारा 10 के अधीन जुर्माने सहित सात वर्ष तक हो सकेगा ; और लैंगिक उत्पीड़न (धारा 11) को धारा 12 के अधीन ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए प्रथम बार दंड में पांच वर्ष से अन्यून की अवधि का कारावास अंतर्वलित है और अपराध की पुनरावृत्ति करने पर यह सात वर्ष तक का हो सकेगा ।

16. बारह वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध 'गुरुतर' प्रकृति के अधीन आने वाले अपराधों के साथ, बालक द्वारा प्रयोक्तवय स्वायतता के लिए दंड भी प्रतिलोमत: आनुपातिक है और इस प्रकार ज्यादा अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है । लैंगिक हमला अधिनियम की धारा 5 और 9 के अधीन भी तब 'गुरुतर' प्रकृति का होता है जब किसी प्राधिकारवान स्थिति में व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपनी देखरेख में बालक पर प्राधिकार का प्रयोग कर रहा हो । इन धाराओं में उदाहरणों की एक लंबी सूची दी गई है, जिसमें पुलिस अधिकारी सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य, लोकसेवक, प्रबंधन कार्मिक, या किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह,

अस्पताल का प्रबंधन या कर्मचारिवृंद, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद, बालक का रक्त या दत्तक या निबह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ सांझी गृहस्थी में रहता है ; बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंधन या कर्मचारिवृंद होते हुए ; किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए आदि सम्मिलित है ।

17. अत: पोक्सो की धारा 7, जिसमें इसके लिए उपबंध अंतर्वलित है, उस पर रिष्टि के नियम, इस विधान के अधिनियमन तक की पृष्ठभूमि और इतिहास तथा इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए । यह धारा निम्न प्रकार से है :–

> "**7. लैंगिक हमला** – जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।"

18. धारा 7 के पठन मात्र से यह दर्शित होता है कि "हमला" अभिव्यक्ति का जो अर्थ है उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 351 में "हमला" की परिभाषा से पूर्ण रूप से अलग किया गया है । धारा 351 में एक स्पष्ट अंगविक्षेप, या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी तैयारी जिससे किसी अन्य व्यक्ति को यह आशंका हो जाती है कि वह पूर्ववर्ती आशयित विपदग्रस्त पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, अंतर्वलित है । धारा 7 का जोर लैंगिक आशय से प्रेरित विधि-बाह्य व्यवहार की सामाजिक आवश्यकता को इंगित करना है ।

19. धारा 7 की संरचना की पदव्याख्या सुविधाजनक रूप से निम्नलिखित रीति में की जा सकती है :–

> "जो कोई,
>
> (i) बालक की योनि, गुदा या स्तनों को <u>लैंगिक आशय से</u>

स्पर्श करता है ; या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है,

(ii) या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

20. धारा 7 के सूक्ष्म विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि यह धारा मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित है । प्रथम भाग के अधीन लैंगिक हमला किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक आशय से बालक के शरीर के चार विनिर्दिष्ट अंगों (योनि, लिंग, गुदा या स्तन) को स्पर्श करने या "ऐसे व्यक्ति" (अपराधी के प्रति स्पष्ट निर्देश किया गया है) या "किसी अन्य व्यक्ति" (अर्थात् बालक या अपराधी के अतिरिक्त) के शरीर के उन अंगों में से किसी को बालक से स्पर्श कराने के रूप में परिभाषित है । दूसरे भाग में, लैंगिक आशय से "कोई ऐसा अन्य कार्य करना लैंगिक हमला है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

21. प्रथम भाग के पहले और दूसरे भागों में "स्पर्श" अभिव्यक्ति का प्रयोग सामान्य प्रतीत होता है । कैम्ब्रिज शब्दकोश में "स्पर्श" (टच) का इस प्रकार उल्लेख किया गया है :–

"किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर अपना हाथ या अपने शरीर के अन्य भाग को हल्के से रखना और हटाना ।"

22. इसी तरह, कोलिन्स शब्दकोश में यह कहा गया है कि –

"आपके स्पर्श करने का भाव वह कुछ बताने की योग्यता है जो आप अपने हाथों से उसे महसूस कराना चाहते हैं ।"

23. दूसरे शब्दों में, "संपर्क", जिसे दूसरे भाग में प्रयुक्त किया गया है, का एक अधिक व्यापक अर्थ है ; इसमें 'स्पर्श' सम्मिलित है किंतु यह सदैव इस तक सीमित नहीं है । जबकि यह बात अव्यवहित रूप से

स्पष्ट नहीं होती है कि दूसरे भाग में 'शारीरिक संपर्क' पद क्यों प्रयुक्त किया गया है, "किसी अन्य कार्य" के साथ समुच्चयबोधक के रूप में इसके प्रयोग ("लैंगिक आशय से" अभिव्यक्ति जोड़कर) से यह उपदर्शित होता है कि 'शारीरिक संपर्क' से वह चीज अभिप्रेत है जिसका 'स्पर्श करने' की अपेक्षा अधिक व्यापक महत्व है । इस दृष्टि से, प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क में आवश्यक रूप से स्पर्श अंतर्वलित न हो । अंतर्वलित "अन्य कार्य" जिसमें "शारीरिक संपर्क" हो, उसमें अपराधी द्वारा विपदग्रस्त के शरीर के किसी अन्य अंग से (जो प्रथम भाग में वर्णित नहीं हैं) प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो सकता है ; अन्य कार्य जैसे विपदग्रस्त के साथ शारीरिक संपर्क करके अपराधी द्वारा किसी वस्तु का प्रयोग करना या मामले की विद्यमान परिस्थितियों में अपराधी द्वारा कोई संपर्क तक न किया गया हो ("कोई अन्य कार्य" अभिव्यक्ति इस बात का संकेत करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है, उदाहरण के लिए, विपदग्रस्त को किसी को स्पर्श करने के लिए प्रपीड़ित किया गया हो) ।

24. तथापि, संसदीय आशय और जोर इस बात पर है कि आपराधिक व्यवहार (चाहे स्पर्श हो या शारीरिक संपर्क से अंतर्वलित अन्य कार्य) लैंगिक आशय से प्रेरित होना चाहिए । संसद् द्वारा शरीर के चार लैंगिक भागों से परे जाकर साधारण प्रकृति के उन कार्यों को इसके अंतर्गत लाया गया, जो जब लैंगिक आशय के साथ किए जाएं, तो उन्हें धारा 7 के दूसरे भाग द्वारा आपराधिक बनाया गया है । पहले भाग में बालक के शरीर के चार अंगों का विनिर्दिष्ट वर्णन और नियंत्रणकारी अभिव्यक्ति "लैंगिक आशय" के प्रयोग का अर्थ है कि शरीर के उन प्रत्येक चारों अंगों का स्पर्श प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध है ।

25. वे परिस्थितियां जिनमें स्पर्श या शारीरिक संपर्क किया जाता है, इस बात की निश्चायक होंगी कि क्या यह 'लैंगिक आशय' द्वारा उत्प्रेरित है या नहीं । ऐसे शारीरिक संपर्क के लिए एक उचित स्पष्टीकरण हो सकता है जिसमें बालक और अपराधी के बीच के संबंध की प्रकृति, संपर्क की दीर्घता, उसकी सोद्देश्यता सम्मिलित है ; यह भी

कि यदि संपर्क के लिए एक विधिसम्मत् अलैंगिक प्रयोजन था । यह भी सुसंगत है कि यह संपर्क कहां घटित होता है और ऐसे संपर्क से पूर्व और पश्चात् अपराधी का आचरण क्या था । इस बाबत, यह उपयोगी होगा कि सदैव यह ध्यान में रखा जाए कि "लैंगिक आशय" परिभाषित तो नहीं है किंतु तथ्य पर आश्रित है जैसा कि धारा 11 के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

26. उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष एक बनावटी तर्क पर आधारित है कि वस्त्रों में से बालक के शरीर के लैंगिक अंगों (इन मामलों में से एक में, स्तन) से संपर्क करना आवश्यक रूप से "स्पर्श" नहीं हो सकता है । यह हैरानी की बात नहीं है कि इस तर्क की जड़ें अन्य अधिकारिताओं में हैं । **रेजिना** बनाम **एच**[1] वाले मामले में यूके अपील न्यायालय ने इन शब्दों का निर्वचन करते हुए कि "स्पर्श करना" के अंतर्गत (क) शरीर के किसी भाग से, (ख) चाहे किसी अन्य वस्तु से या (ग) किसी वस्तु के माध्यम से और विशिष्ट रूप से यूके सैक्सुअल ऑफेंसेज़ ऐक्ट की धारा 79(8) के अनुसार इसके अंतर्गत स्पर्श करना प्रवेशन की कोटि में आता था, इस तर्क को निरसित कर दिया कि किसी विपदग्रस्त के संबंध अभियुक्त का ऐसा कार्य जिसमें "दांयी जेब के क्षेत्र से कुल्हे को पकड़ना" सम्मिलित "स्पर्श करना" नहीं था । न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि :–

> "धारा 79(8) के आरंभिक शब्द हैं 'स्पर्श करना में स्पर्श' और विशिष्ट रूप से 'किसी वस्तु के माध्यम से स्पर्श करना' । उपधारा (8) एक परिभाषा धारा नहीं है । हमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करके स्पर्श करना को लैंगिक हमले के रूप में समझने के लिए इसे असंभव बनाने हेतु संसद् का आशय नहीं था जो उस चीज को स्पर्श करके जो विपदग्रस्त उस समय पहने हुए था ।"

27. इसी प्रकार, **लोआ राज्य** बनाम **वाल्टेर जेम्स फिप्पस**[2] तथा

---

[1] (2005) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 2005.

[2] 442 एन. डब्ल्यू. 2 डी 611 (लोआ ए. पी. पी. 1989).

स्टेट ऑफ लोआ बनाम **क्रिस कानन पियर्सन**[1] वाले मामले में न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या कोई "लैंगिक कार्य" या "लैंगिक क्रियाकलाप" (जिसे धारा 709.1, 709.3 और 709.17 द्वारा आपराधिक बनाया गया है) का अर्थ केवल दो या अधिक व्यक्तियों के बीच लैंगिक संपर्क अर्थात् प्रवेशन के द्वारा, मुख और जननांग द्वारा या एक व्यक्ति के जननांग और दूसरे के जननांग के बीच संपर्क होना है । दोनों निर्णयों में, इस तर्क को कि वस्त्र के माध्यम से संपर्क या स्पर्श अपराध की कोटि में नहीं आता है, निश्चायक रूप से नामंजूर कर दिया गया था । जो कसौटी (पियर्सन के अनुसार) उपदर्शित की गई थी वह यह थी कि प्रतिषिद्ध संपर्क तब होता है (i) शरीर के विनिर्दिष्ट भागों या अन्य भागों को स्पर्श किया जाता है और (ii) मध्यवर्ती सामग्री सहभागीदारों को वस्तुनिष्ठ रूप से यह विचार करके कि इस मनोभाव से उन्हें स्पर्श किया था, नहीं रोकती है । रोचक बात यह है कि इन विनिश्चयों में एक तर्क यह दिया गया था कि अपराध वह है जिसमें प्रत्यक्ष या "त्वचा से त्वचा" का स्पर्श या संपर्क अंतर्वलित हो ।

28. ये विनिश्चय केवल इसी प्रकार की स्थितियां बनाने में तुरत-फुरत मानवीय प्रवीणता को रेखांकित करने की पूर्ति करने तथा ऐसी सृजनात्मकता की सीमा की पूर्ति करने के लिए है कि इस बात पर विचार करते हुए कि यह आवृत्तिमूलक है । इसलिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया है, हैरानी की बात नहीं है कि उच्च न्यायालय ने उस तर्क का समर्थन किया था जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क किया गया हो (अप्रत्यक्ष संपर्क से विपरीत जो विपदग्रस्त द्वारा अनुभूत किया जा सकता है) । मेरी राय में, ऐसा निर्वचन न केवल विधि के प्रवर्तन को सीमित करता है अपितु इसके आशय को नष्ट करने की प्रवृत्ति का है । इसका प्रभाव रिष्टि को जारी रखने के लिए "छलपूर्ण अन्वेषण और अपवंचनाएं हैं" जिससे संसद् बचना चाहती थी ।

29. अत: उच्च न्यायालय के तर्काधार में भ्रांति यह है कि इसमें यह धारणा की गई है कि अप्रत्यक्ष स्पर्श धारा 7 के अंतर्गत नहीं आता

---

[1] 514 एन. डब्ल्यू. 2 डी 452 (लोआ ए. पी. पी. 1994).

है या दूसरे शब्दों में यह "स्पर्श" है ही नहीं । यह उपबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के स्पर्श को कवर करता है और दोनों को कवर करने के लिए है । अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से, स्पर्श करना मानवीय ज्ञानेन्द्रिय अवबोधन में लग जाना है । मानवीय शरीर की सतह पर अभिग्राहक सभी स्पर्शिक अनुभवों की सूक्ष्मताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं । उदाहरण के लिए, खाना खाने के लिए चम्मच का प्रयोग, इसे हाथ से स्पर्श किए बिना, उस स्पर्श की संवेदना को किसी भी तरह से कम नहीं करता है जो होंठों और मुंह द्वारा अनुभव किया जाता है । इसी प्रकार, जब कोई छड़ी या अन्य वस्तु किसी व्यक्ति पर दबाई जाती है या लगाई जाती है चाहे जब वस्त्र पहने हों, उनके स्पर्श की संवेदनशीलता इसे महसूस करने के लिए पर्याप्त है । अत: उच्च न्यायालय के निर्णय में का तर्काधार पूरी तरह से असंवेदनात्मक रूप से तुच्छ हो जाता है और वास्तव में उस अस्वीकार्य व्यवहार की संपूर्ण श्रेणी को विधिसम्मत बना देता है जो बालक की गरिमा और स्वायतता को अवांछित हस्तक्षेप के माध्यम से कम करता है । अत: उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्वचन करके और इसके आधार पर दोषसिद्धि करके और प्रत्यर्थियों को दंडादेश देकर स्पष्ट रूप से गलती की है क्योंकि वे लैंगिक हमले के दोषी थे । सतीश के मामले में, दोषसिद्धि धारा 8 के अधीन होनी चाहिए । लिबनिस के मामले में, समुचित दोषसिद्धि धारा 10 के अधीन गुरुतर लैंगिक हमले की है ।

30. सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय के कुछ विनिश्चयों को उद्धृत किया गया था । **दुलाल धर** बनाम **त्रिपुरा राज्य**[1] वाले मामले में शिकायत किया गया कृत्य विपदग्रस्त को पकड़ना, बलपूर्वक उसका चुंबन लेना और उसे नि:वस्त्र करने की कोशिश का था । निर्णय में यह उल्लेख किया गया था कि इन नामित अंगों को स्पर्श करना केवल उन कृत्यों की श्रृंखला नहीं थी जो आपराधिक थे और यह टिप्पणी की कि "विधान मंडल ने अपनी बुद्धिमता से बहुत ही व्यापक भाषा का प्रयोग किया है जिसमें यह कहा गया है कि 'लैंगिक आशय से कोई कार्य करता है,

---

[1] 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन त्रिपुरा 188.

जिसमें शारीरिक संपर्क अंतर्वलित हो' .....लड़की की वर्दी को खींचना इसमें लैंगिक आशय से शारीरिक संपर्क है ।"

31. इसी प्रकार, **तुषार सिंघा** बनाम **त्रिपुरा राज्य**[1] वाले मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के विनिश्चय और **जितेन्द्र** बनाम **राज्य**[2] तथा **राकेश** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार)**[3] वाले मामलों में सतत रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विपदग्रस्त बालक के स्तनों को स्पर्श करना धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले का गठन करता है जो धारा 8 के अधीन दंडनीय है । इन सभी निर्णयों में, न्यायालयों ने एक समान अपराधी के 'लैंगिक आशय' को रेखांकित किया गया है । मेरी यह राय है कि उन निर्णयों में (त्रिपुरा और दिल्ली उच्च न्यायालय के) संसद् के उस समग्र आशय को ध्यान में रखते हुए विधि का सही निर्वचन किया है, जिसके कारण पोक्सो का अधिनियमन किया गया था ।

32. आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय का तर्काधार क्यों अस्वीकार्य है इसका एक अन्य कारण यह है कि 'संपर्क' पद को भारतीय दंड संहिता की धारा 349 के अधीन 'बल' अभिव्यक्ति को ऐसी रीति में समझा गया है कि किसी पदार्थ में गति कारित करना, गति-परिवर्तन करना आदि, जिससे "उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के किसी भाग से या किसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है या किसी ऐसी चीज से, जो इस प्रकार से है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है" । धारा 349 इस प्रकार है –

> "बल – कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता

---

[1] 2020 की दांडिक अपील सं. जे/2, तारीख 14 मई, 2021 को विनिश्चित ।

[2] 2019 की दांडिक अपील सं. 564, तारीख 19 मार्च, 2020 को विनिश्चित ।

[3] 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन दिल्ली 1179.

है, जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से, जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से, जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो जाता है : परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति-परिवर्तन या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति, गति-परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिन्पश्चात् वर्णित तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है, अर्थात् –

पहला – अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा ।

दूसरा – किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के लिए जाने के बिना ही गति या गति-परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है ।

तीसरा – किसी जीवजन्तु को गतिमान होने, गति-परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा ।"

पोक्सो की धारा 2(2) में यह अधिनियमित है कि "उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय दंड संहिता (1860 का 45), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में हैं" । अत: किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से उसके कपड़ों के माध्यम से 'संपर्क' करने से शारीरिक संपर्क विवक्षित है । यह पोक्सो की धारा 2(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 349 के संयुक्त प्रवर्तन के कारण है । महत्वपूर्ण रूप से, पोक्सो की न तो धारा 7 और न ही किसी अन्य उपबंध से भी दूर-दूर तक यह सुझाव मिलता है कि 'प्रत्यक्ष' शारीरिक संपर्क अपराध कारित किए जाने के लिए वस्त्रों से अबाधित होना अनिवार्य है ।

33. अंत में, मैं स्वयं बेंजामिन कारडोजो की इन पंक्तियों को उद्धृत

करने से नहीं रोक सकता हूं "अत्यधिक तरंगें और लहरें जो व्यक्ति की शांति को निगल जाती हैं अपने रास्ते से नहीं मुड़ती हैं और न्यायाधीश भी इससे अछूते नहीं हैं ।" अत: किसी न्यायाधीश का यह कर्तव्य नहीं है कि वह किसी कानून के स्पष्ट शब्दों को मान्यता से परे जाकर और इसको नष्ट करने की सीमा तक खींचे और तद्द्वारा समय की इस पुकार से इनकार करें कि बालकों को उनकी स्वायतता और गरिमा के संरक्षण के लिए निर्मित किसी विधि के आश्वासन की सख्त आवश्यकता है, जैसा कि पोक्सो में किया गया है ।

34. मैं न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों और निष्कर्षों से सहमत हूं और ऊपर उपदर्शित अतिरिक्त मताभिव्यक्तियों से सहमत हूं कि महान्यायवादी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अपीलों को मंजूर किया जाना चाहिए ; इसी प्रकार, बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई दो अपीलों में अभियुक्तों की अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए । तद्नुसार, मैं अभियुक्त सतीश और लिबनिस की दोषसिद्धि के उपांतरण और उन पर अधिरोपित दंडादेशों से सहमत हूं । इन अपीलों का उपरोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है ।

35. अंत में मैं भारत के विद्वान् महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के माध्यम से अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा और न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र श्री सिद्धार्थ दवे, विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता तथा अन्य विद्वान् काउंसेलों के प्रति, जिन्होंने इन कार्यवाहियों में न्यायालय की सहायता की है, कृतज्ञता और सराहना अभिलिखित करता हूं ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

जस.
